राजस्थान विधान सभा

पच्चीसवीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक–२१ मई, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर में ५ बज कर १५ मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ८१७

जोधपुर की औद्योगिक प्रदर्शनी में पशुओं की लड़ाई करवाने सम्बन्धी

श्री हनवन्तसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जोधपुर की औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शिनी में जानवरों की आपस की लड़ाई न होने के विषय में ता० १८।२।५४ को वन विभाग के मन्त्री जी को जोधपुर के नागरिकों द्वारा जो आवेदन-पत्र दिया गया था उसकी एक प्रति आपको भी मिली ?

(ख) उस पत्र में किन-किन के कितने हस्ताक्षर थे ?

(ग) क्या आप उस पत्र की पूरी इबारत इस सदन की जानकारी के लिए इसी वक्त पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) आपने उस पत्र पर क्या कार्यवाही करने की आज्ञा प्रदान की ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(ङ) क्या आप उस पत्र के औचित्य पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) हां।

Page No.2

[श्री जयनारायण व्यास]

(ख) एम. एल. एज़. सर्व श्री मंगलसिंह कछवाहा, श्री सन्तोषसिंह कछवाहा, श्री खेतसिंह, म्युनिसिपल चेयरमैन तथा म्युनिसिपेलिटी के दो और सदस्य

(ग) सदन के सामने अगर चाहें तो रक्खा जा सकता है यह पत्र वन विभाग का।

(घ) यह पत्र वन विभाग में उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया।

(ङ) केवल एक सूअर (पिग) को मामूली चोट लगी।

श्री संतोषसिंह—आप इसे कृपा करके पढ़कर सुना दें। हर्ज क्या है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकारी दफ्तर के कागज पढ़कर सुनाने का दस्तूर नहीं होता।

श्री भैरूँसिंह—जब एक बार क्वेश्चन एडमिट कर लिया गया है तो इस प्रकार की आपत्ति भी नहीं होती।

श्री जयनारायण व्यास—ये अर्जियां पढ़कर सुनाना जरूरी नहीं और इन पर क्या ऑर्डर लिखकर जाते हैं यह भी पढ़कर सुनाना जरूरी नहीं है।

श्री भैरूँसिंह—It is for the Hon'ble Speaker to decide, not for the Chief Minister.

श्री अध्यक्ष—Next.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—एक रीछ और गधे को कोई चोट नहीं आई ?

श्री जयनारायण व्यास)—अगर माननीय सदस्य को उनकी तरफ से कोई शिकायत हुई हो तो पता नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—इस तरह लड़ने से रोकने का कोई कानून है या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह तो राय की बात है। यह तो जानवरों की ही लड़ाई थी, यहां तो आदमियों की भी फ्री स्टाइल तरीके से कुश्तियाँ होती हैं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—इसी से सम्बन्धित कोई कानून है या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—वह कानून इस तरह की बातो पर लागू नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८१६

लोसल, जिला सीकर में औषधालय के लिए डेढ़ लाख रुपयों का भवन

श्री भैरूँसिह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर के करकमलों द्वारा शिलान्यास होने के पश्चात् लोसल, जिला सीकर में हॉस्पिटल के लिए लगभग डेढ़ लाख रुपये की लागत का एक भवन जनता द्वारा बनाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने हॉस्पिटल-सम्बन्धी वहां क्या व्यवस्था की है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) दिनांक ४ अप्रेल, सन् १६५४ से अस्पताल का काम शुरू कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८२०

कम्पाउन्डर्स तथा नर्सों के लिए कार्य करने का समय निश्चित करने सम्बन्धी

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to answer :—

(a) Has the Government prescribed the number of hours of work for compunders and nurses ?

(b) If so, what is the standard laid down for it ?

(c) Is the Government aware that the compounders and nurses who have to do night duty in the Alexander Hospital, Alwar, have to put in 12 to 13 hours' work ?

(d) Will the Government take steps to order reduction of such overwork ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री) – (अ) जी नहीं।

(ब) पुरानी युनिटों में प्रचलित रीति एवं हस्पतालों में स्टाफ की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह कार्य अस्पताल के अधिकारियों के निर्णय पर छोड़ दिया गया है कि जैसा समुचित हो वे समय का विभाजन करें।

Page No.4

[श्री कुम्भाराम आर्य]

(स) इस हस्पताल में ड्युटी अवर्स दिन में ८ घंटे एवं रात्रि में १२ घंटे हैं। ऐसा प्रबन्ध महीने भर रहता है और इस तरह एक मेल कम्पाउन्डर की ६ मास में एक बार बारी आती है। फीमेल नर्सों की बारी इनकी संख्या कम होने के कारण हर चौथे महीने में आती है।

(द) स्टाफ की कमी एवं शिक्षित स्टाफ की अनुपलब्धि के कारण काम के घंटों को कम करना अभी सम्भव नहीं है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह ज्ञात है कि रात्रि को लगातार १२ घंटे काम करना इन्सान के लिए बहुत मुश्किल है।

श्री कुम्भाराम आर्य—हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर आप मुलाजिमों को इतने घंटे काम करने के लिए क्यों मजबूर करते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—बीमारों की हालत को सुधारने के लिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार बीमारों की हालत तो सुधारने का ख्याल रखती है पर इन बीमारों का ख्याल रखने वाले नर्स और कम्पाउन्डर्स की हालत का ख्याल क्यों नहीं रखती ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इस बारे में सरकार सोच रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इससे यह समझा जावे कि सरकार उसूलन यह मानती है कि इनसे ८ घंटे प्रतिदिन से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिये ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जो मरजी समझें।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या यह समझा जावे कि स्टाफ से ८ घंटे ही काम लेने का सरकार विचार रखती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जो कहियेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या यह समझा जावे कि स्टाफ की वृद्धि करके सरकार आठ घंटे काम का नियम लागू करने का विचार रखती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस प्रकार का नियम अमल में कब तक आ जावेगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यथाशीघ्र।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह समझा जावे कि अधिवेशन के अन्त तक यह कार्य पूरा हो जावेगा ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। "यथाशीघ्र" is sufficient !

कु० श्री जसवन्तसिंह—Come to his rescue !

प्रश्न संख्या ८२१

टाउन हॉल अलवर के आगे-पीछे पुरुषार्थी बाजार का निर्माण

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Rehabilitation be pleased to answer :—

(a) Is any scheme of construction of markets for refugees in front of and behind the Town Hall, Alwar, under consideration of the Government ?

(b) Have plans and maps for such markets been got ready and sent up for final sanction to the Government ?

(c) Will the Government state whether it proposes to get the above markets constructed or not ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनःसंस्थापन मन्त्री)—(अ) जी हाँ।

(ब) जी हाँ।

(स) जी हाँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने निर्णय ले लिया है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह जवाब मेरे उत्तर में आ गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो इसके लिए कोई अवधि भी मुकर्रर की है क्या ?

श्री अमृतलाल यादव—मालूम होता है अवधि का रोग हो गया है माननीय सदस्य को।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुमकिन है, पर किसी को टालने का भी तो रोग है। मैं पूछता हूँ इसके लिए कोई अवधि मुकर्रर की है क्या ?

श्री अमृतलाल यादव—जो निर्माण कार्य करते हैं वे टालना नहीं जानते, टालते नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो कृपा करके बताइये कि कितने समय में यह कार्य पूरा हो जावेगा ?

श्री अमृतलाल यादव—फिर मुझे कहना पड़ेगा क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जी हां, उत्तर तो सम्बन्धित मन्त्रियों को ही देना पड़ता है। कितने समय में यह काम पूरा हो जावेगा ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, सम्बन्धित मन्त्री ही उत्तर देते हैं और काम का सम्बन्ध जहां तक है उसकी चिन्ता मुझे ज्यादा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार के नियमानुसार कितने समय में यह कार्य पूरा हो जाना चाहिये ? यह छोटा सा प्रश्न नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, दुकानें बनानी हैं। इसके लिए जमीन तय की गई है। अब इसके लिए पत्थर इकट्ठे होंगे, चूना मिट्टी आदि आवेंगे और जो जो आवश्यक सामान है वह आवेगा और इसमें समय लगेगा, कोई घोंसला तो है नहीं कि मिनटों में बन जावे। पी० डब्लू० डी० इसका सभी इन्तजाम कर रही है। कारीगरों का इन्तजाम हो रहा है। तो यह काम समय से हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—कितना समय इसके बनने में लगेगा, यह पूछना चाहते हैं ?

अमृतलाल यादव—कोई अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस फाइनेन्शियल इयर में तो पूरा हो जावेगा।

श्री अमृतलाल यादव—कितने महीने, कितने दिन में पूरा हो जावेगा और कोई निश्चित डेट में पूरा हो जावेगा, यह नहीं बता सकता हूँ। काम शुरू होने के बाद तो समय लगता ही है।

श्री संतोषसिंह—यह काम पी० डब्लू० डी० के मातहत है या किसी प्राइवेट ठेकेदार से कराया जा रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव—पी० डब्लू० डी० कर रही है।

श्री सन्तोषसिंह—आपको मालूम है कि समय पहले निश्चित किया जाता है पी० डब्लू० डी० में कि फलां समय तक यह काम समाप्त हो जाना चाहिये ?

Page No.7

श्री अमृतलाल यादव—यह मुझको मालूम है, माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसलिए आपको समय पूछा है । समय कौनसा है टेन्डर में ? आपने टेन्डर कॉल किये होंगे इसके लिए ?

श्री अमृतलाल यादव—वह तो पाबन्दी कराई गई है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या काम चालू हो गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस फाइनेंन्शयल इयर में काम पूरा हो जावेगा; ऐसी आशा करें ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह कॉन्ट्राक्ट पी० डब्लू० डी० ने किसी को दिया या स्वयं ही करा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—कॉन्ट्राक्टर के द्वारा ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अगर कॉन्ट्राक्टर को दिया है तो कॉन्ट्राक्ट एग्रीमेंट में कौनसी तारीख पूरा करने की रक्खी है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह मुझे मालूम नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो ऐसा कहिये ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या इसके लिए टेन्डर्स इन्वाइट किये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह डिटेल का सवाल है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने आदेश दिया पी० डब्लू० डी० को कि कार्य शुरू किया जावे ?

श्री अमृतलाल यादव—मेरी समझ में नहीं आया कि काम शुरू नहीं हुआ तो यह पूछने से क्या मतलब है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—आदेश पी० डब्लू० डी० को दिये गये हैं या नहीं ?

Page No.8

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, दिये हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८२२

अलवर जिले की विभिन्न तहसीलों में वार्षिक आधार पर निष्क्राम्य भूमि नियतन के लिए नियतन समिति का निर्माण

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Rehabilitation be pleased to answer :—

(a) Did the Government constitute Allotment Committee in the various tehsils of Alwar District for allotment on temporary yearly basis of land at present with the Government as evacuee property ?

(b) Is it a fact that the Custodian Evacuee Properties, Rajasthan, as declared the decision of the Allotment Committee as void ?

(c) Is the Government aware that persistent complaints of grave irregularities, nepotism etc. are being made against these allotment committees ?

(d) Will the Government take steps to stop this method of allotment ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनःस्थापन मन्त्री)—(अ) जी हां।

(ब) कानून के अनुसार कस्टोडियन इन पट्टा समितियों की सलाह से अस्थायी तौर पर भूमि-वितरण का आदेश देता है। एक-दो मामलों में, जिन समितियों ने जो भूमि दे दी थी वह रद्द कर दी गई थी।

(स) सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

(द) इसको सर्वश्रेष्ठ समझकर अपनाया गया था और अब तो चूंकि पुरुषार्थियों को उनकी सम्पत्ति में क्षतिपूर्ति के रूप में भूमि दी जाने लगी है जिससे यह कार्य स्वतः समाप्त हो जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि कस्टोडियन ऑफ एवेक्वी प्रोपर्टी ने इस प्रथा के मामले में एतराज पूर्ण फैसला किया है।

श्री अमृतलाल यादव—जो खामियां थीं वे पूरी कर ली गई हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कानून में इस प्रकार की कमेटियों का कोई स्थान नहीं है, इस प्रकार का एतराज किया गया था ?

श्री अमृतलाल यादव—जो कुछ भी एतराज किया गया, जो कि इन कामों को करने में अड़चन होती है; कानून के प्वॉइन्ट आउट होने पर उसकी पूर्ति कर ली जाती है और काम चलाया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस ऐतराज की जो पूर्ति की गई है इसका तात्पर्य यह समझूँ कि वे कमेटियां भंग कर दी गई हैं।

श्री अमृतलाल यादव—किसी भी एडवाइज़री कमेटी को भंग करने का सवाल नहीं आता है क्योंकि वे काम में मदद करती हैं। उनकी केवल सलाह होती है, आर्डर नहीं होता है। वे केवल सलाहकार समितियां हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजस्थान सरकार ने इन कमेटियों के अधिकार नियत करने के सिलसिले में जो सर्क्युलर जारी किया था, क्या उस सर्क्युलर को विथ्ड्रॉ कर लिया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—मुझे उस सर्क्युलर के खास डिटेल्स मालूम नहीं हैं। वह जारी भी किया गया था तो इसलिए जारी किया गया था कि वह समितियां कस्टोडियन को सलाह दें और हुक्म कस्टोडियन का हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं कि उस सर्क्युलर में इन कमेटियों को निर्णय के लिए अधिकार दिये गये थे।

श्री अमृतलाल यादव—जब कि बाद में कस्टोडियन ने यह प्वॉइन्ट आउट किया कि कस्टोडियन ही ऑथोरिटी है इस काम को करने के लिए और कोई भी इस प्रकार की समितियां सलाह दे सकती हैं तो उसके मुताबिक सलाहकार समितियां ये हैं और कस्टोडियन ऑर्डर करता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या बाद में उस सर्क्युलर में जो संशोधन किया गया है वह गजट में शाया किया गया है क्या ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह रिलेवेन्ट है। माननीय अध्यक्ष, यह सर्क्युलर गजट में शाया ही नहीं किया गया है और एमेंडमेंट भी नहीं निकला है।

श्री अध्यक्ष—You have the information already with you.

श्री अमृतलाल यादव--यह मुझे मालूम नहीं है । सरकार के मतलब से फैसला होता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष--I am sorry the Hon'ble Member is deprived of that pleasure.

प्रश्न संख्या ८२३

एस. पी. चित्तौड़ द्वारा पकड़े गए भ्रष्टाचार के मामले

श्री सुगनचंद जैन--क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(क) क्या एस. पी. चित्तौड़ ने इस साल भ्रष्टाचार के केस पकड़े हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से कॉन्स्टेबल और थानेदार पकड़े गये ?

(ग) क्या इन भ्रष्टाचार में पकड़े गये कॉन्स्टेबलों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई ? यदि हाँ, तो क्या और क्या नतीजा निकला ?

(घ) क्या वे कॉन्स्टेबल्स अभी तक उसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--(क) हाँ।

(ख) १. सब इन्सपेक्टर रघुवीरसिंह ।

२. हैड कॉन्स्टेबल संग्रामसिंह ।

३. कॉ० लालसिंह ।

४. कॉ० भवानीसिंह ।

५. कॉ० मोहम्मद हुसैन ।

(ग) तफतीश जारी है और मुकद्दमे अदालत से शीघ्र भेजे जायेंगे ।

(घ) नहीं ।

श्री रोशनलाल--कितने, कौनसे से साल सस्पेन्ड हुये है ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिए अगर नोटिस दें तो ठीक रहेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या वे काम कर रहे हैं या सस्पेन्ड कर दिये गए हैं?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने जवाब दे दिया कि नहीं।

प्रश्न संख्या ८२४

श्री अध्यक्ष—श्री गोपीलाल यादव।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८२५

श्री अध्यक्ष—श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थितकृपया परिशिष्ट १ देखिये।)

प्रश्न संख्या ८२६

बेगू डिस्पेंसरी (जि० चित्तौड़) में रोगियों की भर्ती तथा औषधियाँ

श्री सुगनचंद जैन—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) चित्तौड़ जिले में बेगू डिस्पेन्सरी में सन् ५३-५४ में कितने मरीजों की मर्ती हुई और कितनी औषधि दी गई?

(ख) इस डिस्पेन्सरी में कितने बीमारों के रहने के कमरे हैं?

(ग) यदि नहीं हैं, तो वहाँ पर बीमारों के रहने की क्या सुविधा है?

(घ) क्या सरकार इस स्थान पर जरूरत के अनुसार कमरे बनवाने की योजना रखती है?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) एक भी मरीज भरती नहीं हुआ है। अतः वहाँ दवाई देने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) एक भी नहीं।

[-कुम्भाराम आर्य]

(ग) जरूरत के समय अनिवार्य बीमारों को अस्पताल के कमरे में रख दिया जाता है ।

(घ) अभी कोई योजना नहीं है।

श्री सुगनचंद जैन--क्या एक भी मरीज भरती नहीं हुआ ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हाँ।

प्रश्न संख्या ८२७

बेगू डिस्पेंसरी में लेडी डॉक्टर

श्री सुगनचंद जैन--क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या बेगू डिस्पेन्सरी में कोई लेडी डॉक्टर है ?

(ख) यदि नहीं, तो कितने दिनों से वहाँ पर इसकी माँग की जा रही है ?

(ग) इस स्थान की पूर्ति न होने का क्या कारण है ?

(घ) अब कब तक इसकी पूर्ति हो जाने की उम्मीद की जावे ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)--(क) जी नहीं।

(ख) सरकार के पास लेडी डॉक्टर की कोई माँग नहीं आई है।

(ग] अभी कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(घ) यह प्रश्न पद स्वीकृत होने के बाद ही उत्पन्न होता है।

श्री सुगनचन्द जैन--लेडी डॉक्टर की माँग तो कभी से चल रही है, साहब। इस पर अभी भी माँग की जायगी तो विचार किया जायगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—अवश्य।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८२८

अलवर जिले में शरणार्थियों को पम्पिंग सेट तथा उनके मूल्य

श्री घासीराम—क्या पुनः संस्थापन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) अलवर जिले में शरणार्थियों को कितने पंपिंग सेट्स दिये गये और किन-किन तहसीलों में और किस साल में ?

(ख) ये पम्पिंग सेट्स किन कीमतों पर दिये गये ?

(ग) क्या पम्पिंग सेट्स की कीमत बाजार में १३०० रुपये के करीब है ?

(घ) क्या सरकार ने इसकी जाँच कराई है कि इतनी ज्यादा कीमत पर क्यों दिये गये हैं ?

(ङ) क्या सरकार इन पम्पों को वापस लेने को तैयार है ?

(च) इन पम्पों में से कितने पम्प चालू हैं और कितने बेकार पड़े हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मन्त्री)—२०० पम्पिंग सेट्स। तहसील किशनगढ़ में ५३, तिजारा में ३६, मंडावर में ८, सब-तहसील रामगढ़ में ६२, गोविन्दगढ़ में २६, कोटकासिम में ३ और टपूकड़ा में ६।

२०० में से ७ नहीं लगाये गये हैं और ५८ सन् १९५१ में और १३५ सन् १९५२ में लगाये गये थे।

(ख) २८०० रुपया प्रति पम्पिंग सेट।

(ग) और (घ) यह सेट भारत सरकार द्वारा खरीदे गये थे।

(ङ) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(च) इनमें से सात बिल्कुल नये हैं। ५८ अच्छी हालत में हैं और १३५ चालू हालत में नहीं हैं।

श्री घासीराम—यह किस कीमत के खरीदे गये थे ?

श्री अमृतलाल यादव—ये राजस्थान सरकार ने नहीं खरीदे थे, मैंने कहा है।

श्री घासीराम—इसके लिए काफी शिकायत थी और आवेदन-पत्र पेश किये हैं कि वे खराब हैं, वापिस ले लिये जाँय। क्या सरकार वापिस लेने को तैयार है ?

Page No.14

श्री अमृतलाल यादव—वही मैंने बताया है कि वह सरकार के विचाराधीन है।

श्री घासीराम—कब तक हो जायगा ?

श्री अमृतलाल यादव—भारत सरकार के पास रिपोर्ट भेज रखी है, वहाँ से आने पर कोई निर्णय लिया जायगा।

श्री भवानी सहाय—(अश्रव्य)

श्री अमृतलाल यादव—ये पम्प भारत सरकार ने खरीद कर यहाँ के रिफ्यूजीज़ के लिए दिये थे, राजस्थान सरकार ने नहीं खरीदे थे।

श्री भवानी सहाय—क्या राजस्थान सरकार ने यह तसल्ली दी कि यह पम्प काम करेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—रुपये उनके थे, चीज़ वह दे रहे हैं; हमारी तसल्ली का सवाल ही क्या ?

श्री भवानी सहाय—असली कीमत क्या है ?

श्री अमृतलाल यादव—असली कीमत वह लेने वाले जानें या देने वाले जानें। हम तो बीच की एजेन्सी हैं।

श्री रोशनलाल—आपके पास शिकायत आई तो आपने उसकी जाँच करवाई ?

श्री अमृतलाल यादव—वह शिकायत आई तो उसकी जाँच हुई। वह भारत सरकार के पास भेज दी गई है।

श्री रोशनलाल—जाँच करने पर क्या यह मालूम हुआ है कि कीमत ज्यादा दी गई है ?

श्री अमृतलाल यादव—वह भारत सरकार को भेज दी गई है, वह विचार कर रही है। ज्यादा दी गई या कम, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।

श्री रोशनलाल—आपने जाँच की तो फिर क्यों नहीं कह सकते कि वह कीमत ज्यादा थी ?

श्री अमृतलाल यादव—जाँच मैंने नहीं की।

श्री रोशनलाल—आपके डिपार्टमेंट ने तो की ?

श्री अमृतलाल यादव—कमेटी थी।

श्री भवानी सहाय—उस कमेटी में कोई एक्सपर्ट था, जो कि जानता हो कि वह ज्यादा है।

श्री अमृतलाल यादव—उस कमेटी में एक्सपर्ट था।

श्री रोशनलाल--वह कौन था ?

श्रीअमृतलाल यादव--आप अलग से नोटिस दीजिये।

श्री रोशनलाल--आपको पता है कि एक कमेटी बनाई गई। नाम आपको पता नहीं कि कौन था ?

श्री अमृतलाल यादव--वह कमेटी बनीं थी। नाम मुझको याद नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि एक्सपर्ट था, लेकिन उसका नाम नहीं मालूम है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८२६

कोटा में जलाने की लकड़ी तथा भूसे के संग्रह वन विभाग द्वारा बन्द करना

श्री रघुराजसिंह--Will the Minister for Forests be pleased to state :--

(a) Why has the Forest Department stopped stocking and selling to the public firewood and hay in Kotah ?

(b) How much higher rates have the public to pay for the firewood and hay by discontinuing such arrangements ?

(c) Will the Government take early steps to restore the old arrangements ?

श्री अमृतलाल यादव--(अ) सरकार ने विभागीय तौर पर जंगलों को काटने का काम बन्द कर दिया है और राजस्थान भर में जंगलों के कूप नीलाम करने की पद्धति को अपनाया है।

(ब) कुछ भी नहीं।

(स) सरकार का कोई इरादा पुरानें तरीके पर आने का नहीं है।

श्री रघुराजसिंह--Is it not the duty of the Government to arrange for the convenience of the people and make grass and fuel available to them at cheaper rates ?

श्री अमृतलाल यादव--गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वह पब्लिक के घास-लकड़ी के कन्जम्पशन का इन्तजाम करे लेकिन उस पर रेट्स की जिम्मेवरी नहीं है। यह सब बाजार और व्यापार की हालत पर डिपेन्ड करता है। घास, लकड़ी सस्ती मिले इसलिए सिटी सप्लाई के लिए कुछ कूप रिज़र्व कर दिये हैं जिसमें कि काफी घाटा सालाना पड़ता है; लेकिन इसलिए रखे हैं कि पब्लिक को सस्ता मिले।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस नई प्रथा के कारण लकड़ी के रेट्स काफी शरह में बढ़ गये हैं।

श्री अमृतलाल यादव—लेकिन वे इस वजह से नहीं बढ़े हैं; आम बाजार में काफी मँहगाई है इस वजह से बढ़ गये हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या सरकार को यह मालूम है कि जब राजस्थान में आम भाव बढ़ रहे थे उस वक्त शहर में लकड़ी के भाव कम थे, लेकिन उस वक्त सरकार की व्यवस्था दूसरे प्रकार की थी; व्यवस्थान के बदलने के कारण ही वह भी बढ़े हैं?

श्री अमृतलाल यादव—पहले डिपार्टमेंनटली काम करने की व्यवस्था थी; उसके बजाय अब ऑक्शन की व्यवस्था हुई है लेकिन इस व्यवस्था की वजह से भाव नहीं बढ़े हैं।

श्री कानसिंह—यह जो तरीका बदला गया है वह किसकी सिफारिश से बदला गया है?

श्री अमृतलाल यादव—सिफारिश की जरूरत नहीं है। सरकार वह काम करती है जिसमें उसे अधिक से अधिक लाभ हो और सरकार जो अच्छी व्यवस्था हो उसको अपनाये। अगर किसी की सलाह मिलती है तो लेने में कोई एतराज नहीं है।

एक सदस्य—क्या सरकार अपने लाभ को देखती है, जनता की सुविधा को नहीं?

श्री अमृतलाल यादव—राज्य का लाभ ही जनता की सुविधा है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि जनरल ट्रेन्ड्स बाजार के गिर रहे हैं; सभी चीजों के इन्क्लूडिंग लकड़ी घास वगैरह के?

श्री अमृतलाल यादव—गिर रहे हैं तो उस कम्पेरिज़न में इसके भी भाव गिर रहे हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अभी आपने सवाल के जवाब में तो यही कहा कि पहले सरकारी व्यवस्था थी और अब कन्ट्रेक्ट दिये गये हैं।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने यह अर्ज नहीं किया कि लकड़ी के प्राइसेज़ बढ़ गये हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अभी आपने यह कहा कि प्राइसेज़ बढ़ रही हैं और अब आप उसका कॉन्ट्राडिक्टरी जवाब दे रहे हैं?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने यह नहीं कहा कि प्राइसेज़ बढ़ रही हैं।

प्रश्न संख्या ८३०

राजस्थान में कुटीर उद्योग की स्थिति

श्री सरदारसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.17

[श्री सरदारसिंह]

(क) राजस्थान में कुटीर व्यवसाय विकासोन्मुख है या पतनोन्मुख ?

(ख) अगर विकासोन्मुख है तो राजस्थान में कौन-सा क्षेत्र अधिक विकसित हो रहा है ?

(ग) अगर पतनोन्मुख है तो राजस्थान सरकार उसके उद्धार के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(घ) क्या इस उद्योग से राजस्थान की बढ़ती बेकारी हल हो सकती है ?

(ङ) अगर हाँ, तो किस हद तक ?

श्री **जयनारायण व्यास** (मुख्य तथा उद्योग एवं व्यवसाय मन्त्री)—(क) राजस्थान में कुटीर व्यवसाय विकासोन्मुख है।

(ख) कुटीर व्यवसाय का विकास किसी खास क्षेत्र को लेकर नहीं हो रहा है, किन्तु व्यवसाय जिस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, वहीं पर उसका विकास हो रहा है; जैसे चमड़े का व्यवसाय जोधपुर में, पीतल व ताम्बे पर खुदाई का काम जयपुर में इत्यादि।

(ग) कुटीर व्यवसाय के पतनोन्मुख होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कुटीर व्यवसाय के विकास द्वारा बढ़ती बेकारी का प्रश्न अधिकतर हल हो सकता है।

(ङ) इस प्रश्न का उत्तर (ग) में अंकित है।

कुँ० श्री **जसवन्तसिंह**—किन-किन जगहों में कुटीर उद्योग की कितने परसेन्ट तरक्की हुई है ?

श्री **जयनारायण व्यास**—यह काफी विस्तृत प्रश्न है इसलिये आप अलग प्रश्न के रूप में पूछेंगे तो शायद जवाब दिया जा सके; वह भी शायद।

श्री **वेदपाल त्यागी**—क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जाँच करवाई है कि जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि वाकई बढ़ती हो रही है या यों ही कहा जा रहा है ?

श्री **जयनारायण व्यास**—जाँच के ऊपर और फेक्ट्स के ऊपर कहा है।

Page No.18

श्री बेदपाल त्यागी—क्या जाँच की रिपोर्ट सरकार हाउस में रखने को तैयार है ?

श्री जयनारायण व्यास—जाँच कमेटी के रूप में नहीं की गई है बल्कि डिपार्टमेंट ने अलग-अलग तरह से की है, लेकिन फिर भी कुटीर व्यवसाय के बारे में हाउस में स्टेटमेंट या मिनिस्टर की रिपोर्ट के जरिये से सूचना दी जा सकती है; बल्कि वक्तन-फवक्तन जरूरत पड़ने पर सूचना दी गई है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—जब जाँच करवाई गई है, तो 'शायद' का क्या प्रश्न रह जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—इसलिये कि प्रश्न विस्तृत है और कोई सम्बन्धित बातें रह सकती हैं ।

श्री भैरूँसिंह (१६)—क्या कुटीर व्यवसाय के लिये भारत सरकार से सहायता मिलती है ?

श्री जयनारायण व्यास—जी हाँ ।

श्री भैरूँसिंह—इस वर्ष इसके लिये कितनी सहायता मिलेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—यदि आप अलग प्रश्न करेंगे तो उत्तर देने में समर्थ हो सकूँगा ।

श्री भैरूँसिंह—क्या यह सही है कि सन् ५३-५४ में कोई सहायता राजस्थान सरकार प्राप्त नहीं कर सकी ?

श्री अध्यक्ष—Next question.

श्री जयनारायण व्यास—अलग प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री कँवरलाल जेलिया—राजस्थान सरकार कुटीर व्यवसाय को विकसित करने के लिये क्या योजना बना रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—वैसे यह प्रश्न ऐसा है कि इसकी रिपोर्ट देना इस समय मुमकिन नहीं है । मैं कल श्री एच. के. व्यास के प्रश्न के उत्तर में कुटीर व्यवसाय के सम्बन्ध में प्रकाश डाल चुका हूँ । यदि माननीय सदस्य चाहेंगे कि क्या क्या काम हो रहा है और कहाँ-कहाँ हो रहा है, तो मैं उसे वक्तव्य या नोट के रूप में आपके सामने रख सकूँगा ।

श्री भैरूँसिंह—अच्छा हो कि इस विषय पर हाउस में डिबेट की जाय ।

Page No.19

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या भारत सरकार ने राजस्थान सरकार से इस बारे में सुझाव मांगे थे ?

श्री अध्यक्ष—Next question.

प्रश्न संख्या ८३१

खजिन विभाग के अधिकारी तथा उनका फिक्सेशन

श्री चाँदमल मेहता—क्या खनिज मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) माइन्स डिपार्टमेंट में कितने ऑफिसर्स हैं; उनके नाम क्रमवार (सिनियोरिटी की दृष्टि से) क्या-क्या हैं ?

(ख) इन अफसरों में कौन-कौन टेम्परेरी हैं ?

(ग) इन अफसरों में किन-किन अफसरों के रिप्रजेन्टेशन्स तनख्वाह के फिक्सेशन के सम्बन्ध में कब से सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री जयनारायण व्यास—खनिज विभाग में १८ गजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके नाम सीनियोरिटि के क्रम से आप कहें तो पढ़ के सुनादूँ या मेज पर रखदूँ । पर कुल १८ नाम हैं इसलिये पढ़कर ही सुना देता हूँ :

१. संचालक — श्री एम. एल. सेठी, स्थानापन्न

२. उपसंचालक — श्री एम. एल. सेठी, स्थायी वर्तमान स्थानापन्न संचालक
श्री जे. पी. अरोड़ा, उपसंचालक प्रशासन

(३) से ५ सहायक संचालक :

(१) श्री ओंकारलाल जोशी
(२) श्री गोपालमल मेहता
(३) रिक्त

[श्री जयनारायण व्यास]

६ से ८ खजिन इन्जिनियर्स :

(१) श्री बी. एस. सहाय

(२) श्री टी. जी. जीर्जे

(३) श्री जी. एम. माथुर; अतिरिक्त इस पद पर कार्य कर रहे हैं

६ से १० सहायक खजिन इन्जिनियर्स :

(१) श्री एस-एस. मुरडिया मुअत्तिल

(२) श्री सी. एम. जैन—अस्थाई रूप से इस पर काम कर रहे हैं ।

श्री सी. एम. जैन अस्थाई रूप से इस पद पर कार्य कर रहे हैं ।

११ से १४ भूगर्भशास्त्रवेत्ता :

(१) श्री वाई एन. दवे

(२) श्री के. राज रंजन जीयोलोजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया में भेजे हुये हैं

(३) श्री ए. सी. मित्र

(४) रिक्त

(१५) खनिज प्रबन्धक श्री ए. बी. मुकर्जी

(१६) केमिस्ट और सिरमिक टैक्नोलिजिस्ट श्री पी. डी. स्वामी

(१७) सहायक खनिज प्रबन्ध श्री सुन्दरसिंह अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं ।

(१८) लेखा अधिकारी श्री मुरली मनोहर जैन स्थानापन्नन (मुअत्तिल)

(ख) इसका उत्तर ऊपर (क) में दिया गया है ।

(ग) वेतन के सम्बन्ध में दो आवेदन पत्र (representations) विचाराधीन हैं । इनमें से एक श्री गोपालमल मेहता का दिनांक २५.६.५२ का और दूसरा श्री ओंकारलाल जोशी का सन १६५३ से है ।

श्री चाँदमल मेहता—ये रिप्रजेन्टेशन्स और कब तक विचाराधीन रखेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—जब तक सारा पहलू समझ न लिया जाय और फाइनेन्स, अपोइन्मेंन्ट्स और माइनिंग डिपार्टमेंट इनके सम्बन्ध में पूरी जाँच न करलें तब तक विचाराधीन रहेंगे ।

Page No.21

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही नहीं है कि श्री गोपालमल मेहता काफी सीनियर हैं और उनको वेतन बहुत कम मिलता है ?

श्री जयनारायण व्यास--वहाँ पर पे कम नहीं की गई है, युनिट से जो मिलती आ रही है वही मिल रही है ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात है कि उनको जोधपुर में जो वेतन मिलता था उससे भी कम यहाँ राजस्थान में कर दिया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास--इस बारे में अलग प्रश्न किया जाय तो देखकर जवाब दिया जा सकता है ।

श्री संतोषसिह कछवाहा--इतने नाम आपने बताये उन सब की क्वालिफिकेशन्ध क्या हैं ?

श्री वेदपाल त्यागी—क्या उन में से कोई नोन टेक्निकल आदमी भी हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—जहाँ टेक्निकल आदमियों की जरूरत है वहाँ टेक्निकल आदमी हैं और जहाँ नोन-टेक्निकल की जरूरत है वहाँ नोन टेक्नीकल हैं ।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या यह सही है कि मिस्टर अरोड़ा नोन टेक्निकलमेन हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—वे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं । उनके टेक्नीकल होने की जरूरत नहीं है ।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या पहले भी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी जहाँ आजकल मी अरोड़ा काम कर रहे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास--कई जगहें ऐसी हैं जहाँ टेक्निकल आदमियों की जरूरत नहीं हैं, वहाँ नोन टेक्निकल आदमी काम कर सकते हैं ?

श्री वेदपाल त्यागी—मेरा सवाल दूसरा है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह क्या पहले भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस विषय में अभी नहीं बतला सकता, लेकिन श्री अरोड़ा के आने के बाद आमदनी बढ़ी है और आमदनी बढ़ाने के लिये व प्रशासन का काम देखने के लिये एक आदमी की जरूरत थी इसलिये उनकी नियुक्त की गई ।

कुँ० श्री जसवन्तसिह—क्या यह बात सही है कि मौजूदा डाइरेक्टर जो एक टेक्निकल आदमी हैं उनकी दूसरे स्थान पर ट्रान्सफर की जा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास--क्या अस्पताल में ट्रान्सफर की जा रही है ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—अस्पताल का तो मैं नहीं कह सकता शायद उनके दिमाग में खराबी हो तो वहाँ भेजा जाय । लेकिन, क्या उनकी कहीं ट्रान्सफर की जा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे ध्यान में तो ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या राजस्थान में माइनिंग के टेक्निकल आदमियों की ट्रान्सफर अस्पताल में और वहाँ के अफसरों की किसी दूसरी जगह बदली की जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास—हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कम्युनिस्टों के यहाँ ऐसा होता हो तो पता नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी तक राजस्थान में कॉम्युनिस्टों के हाथ में अफसरों की ट्रान्सफर्स का काम नहीं आया है ।

श्री सन्तोषसिंह—अन्डरसस्पेन्शन कितने अफसर हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने पहले नाम बतला दिये थे ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन लोगों को टेम्पोरेरिली अपोइन्ट किया गया है, उनको श्री गोपालमल मेहता से अधिक वेतन मिलता है ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे ख्याल से इस बारे में अलग प्रश्न किया जाय तो अच्छा रहेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या अलग-अलग ऑफिसर्स के शिड्यूल ऑफ पोवर्स नियुक्त किये गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है ।

प्रश्न संख्या ८३२

महाराव श्री भीमसिंह औषधालय कोटा की व्यवस्था तथा स्थिति

Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to state :—

(a) When was the work of Maharao Bhimsingh Hospital started ?

(b) Is the progress satisfactory and according to scheduled programme ?

If not, why and who is responsible for the delay ?

[श्री जयनारायण व्यास]

(d) What action has the Government taken to expedite the progress of work ?

(e) By what date is the work expected to be completed according to the terms of the contract ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(अ) सितम्बर १, १६५४ से।

(ब) जी नहीं।

(स) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जब और बड़े-बड़े काम शुरू नहीं हुए थे ठेकेदार ने इस काम को काफी नीची दरों पर लिया था, दूसरे २-७-५३ से अक्टूबर १६५३ तक के अनुकूल समय का भी कुछ उपयोग नहीं किया और अब मजदूरी एवं माल दोनों की कीमत बढ़ गई है और वह अपना ही समय ले रहा है।

(ड) पी. डब्लू. डी. जितना सम्भव हो सके उतनी सहायता एवं सहूलियत दे रहा है।

(ई) ठेके की मियाद से तो यह कार्य १-१-५५ तक समाप्त हो जाना चाहिये पर काम की प्रगति को देखते हुए जून १६५५ तक कार्य समाप्त होगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह जो देरी हो रही है उसके लिए गवर्नमेंट क्या तजवीज कर रही है; कन्ट्रेक्टर को इनाम देने की या सजा देने की ?

श्री कुम्भाराम आर्य—न इनाम की और न सजा की।

(हँसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह उसकी गलती है तो भी क्या उसे सजा नहीं दी जायगी।

श्री कुम्भाराम आर्य—गवर्नमेंट उसकी गलती देखेगी तो सजा देगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८३३

महाराव भीमसिंह होस्पिटल (कोटा) के निर्माण में व्यय

श्री रघुराजसिंह (१२१)—Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to state :—

(a) How much amount will be spent on the construction of Maharao Bhimsingh Hospital at Kotah ?

Page No.24

(b) How much interest has accrued on the sums donated by His Highness the Maharao Sahib and the widow of Seth Panachand of Kotah and for for what purpose the same will be utilised in the Hospital ?

(c) How much new equipment will be necessary for the Hospital ? What will be its approximate cost ?

(d) Has the Government kept any provision in the budget for 1954-55 for this purpose ? If not, why not ?

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(अ) साढ़े सात लाख रुपये ।

(ब) महाराव साहब द्वारा दिये गए दान पर ७ लाख रुपए । १५-६-५१ तक ५२,५०० रु० व्याज का उपजा । इसके बाद ये प्रोमीसरी नोट संघीय अधिक एकीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार को ट्रान्सफर कर दिए गए और इस रकम पर उपरोक्त समय के पश्चात् किस दर से व्याज जोड़ा जायगा, यह प्रश्न विचाराधीन है ? पना चन्द की विधवा पत्नी के द्वारा दिए गए दान पर कोई व्याज देना नहीं पाया जाता । मूल एवं व्याज दोनों अस्पताल के निर्माण एवं आवश्यक वस्तुओं पर काम में लिया जायगा ।

(स) लगभग २ लाख रुपए का सामान आवश्यक होगा ।

(ड) कार्य जून १९५५ तक समाप्त हो जाने की आशा है और १९५५-५६ के बजट में आवश्यक नया मद रख दिया जायगा ।

श्री रघुराजसिंह—श्री पन्नाचन्द की विडो द्वारा जो रकम दी हुई है उस पर इन्ट्रेस्ट क्यों नहीं चार्ज किया गया ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वह रकम डिपोजिट में जमा कराई हुई है ।

श्री वेदपाल त्यागी—डिपोजिट पर क्या इन्ट्रेस्ट नहीं मिलता ?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं ।

(हँसी)

श्री रघुराजसिंह—किस समय से डिपोजिट में इन्ट्रेस्ट नहीं मिलता ?

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या फरमाया ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह क्या उन्हीं का खयाल है या दूसरी दुनिया के फाइनेन्शियल एक्सपर्टस का भी यही खयाल है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—खयाल किसी के मिला नहीं करते।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या गवर्नमेंट किसी भी डिपोजिट पर ब्याज नहीं देती?

श्री कुम्भाराम आर्य—गवर्नमेंट ब्याज लेती भी है और देती भी है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—तो फिर इसी डिपोजिट पर सरकार ब्याज क्यों नहीं देती?

श्री कुम्भाराम आर्य—डिपोजिट पर ब्याज नहीं देती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ट्रस्ट फंडस की जिस रकम का राजस्थान सरकार द्वारा जो हिसाब मेन्टेन (maintain) किए जाते हैं क्या उनमें ब्याज नहीं जोड़ा है?

श्री कुम्भाराम आर्य—अलग-अलग सूरतों पर डिपोजिट होती हैं, कई बिना ब्याज पर डिपोजिट होती हैं और कई ब्याज पर।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या राजस्थान सरकार के जितने डिपोजिट्स हैं उनमें से एक भी ऐसा डिपोजिट बताया जा सकता है कि जिस पर ब्याज नहीं दिया जाता हो?

श्री कुम्भाराम आर्य—किसी काम के लिए जो डिपोजिट लिए जाते हैं उन्हें सालाना रकम दे दी जाती है।

श्री रघुराजसिंह—यह तो मकान बनाने के लिए डिपोजिट रखा गया था, फिर इस पर ब्याज क्यों नहीं दिया जाता?

श्री कुम्भाराम आर्य—मकानों की कई रकमें हैं, जो बिना ब्याज के डिपोजिट की हैं।

श्री कु० जसवन्तसिंह—अगर राजस्थान सरकार का यही खयाल है कि डिपोजिट बिना इन्ट्रेस्ट के दिए जाँय तो कितने दिनों हम यह अन्दाज लगायें और शुभ कामना करें कि राजस्थान सरकार का दिवाला कब तक निकल जायगा?

श्री जयनारायण व्यास—राजस्थान का दिवाला नहीं निकलने वाला है, मेरे माननीय मित्र को ऐसी शुभ कामना नहीं करनी चाहिए।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जब राजस्थान सरकार बिना ब्याज के डिपोजिट लोगों को देगी तो फिर क्यों नहीं यह आशा की जा सकती है?

श्री जयनारायण व्यास—ब्याज पर तो वही रकमें जमा कराई जाती हैं जिनसे राजस्थान सरकार को फायदा उठाना होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर १० साल तक १० लाख की रकम अमानत है, तो क्या व्याज नहीं लिया जायगा।

श्री जयनारायण व्यास—अमानत पर नहीं लिया जायगा।

एक सदस्य—ट्रस्ट फंड की इस रकम का क्या हिसाब है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—७ लाख के जो नोट्स दिये गए उनका १५-६-५१ तक ५२,५००) रु० व्याज हुआ; इसके बाद यह रकम केन्द्रीय सरकार को ट्रान्सफर कर दी गई।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मन्त्रीजी ने फरमाया कि ७ लाख के नोट्स; तो हमारी समझ में नहीं आया कि वे १०, १० हजार के नोट्स थे, हजार हजार के नोट्स थे या १००, १०० रुपयों के नोट्स थे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—प्रोमीसरी नोट्स कहलाते हैं।

(हँसी)

एक सदस्य—क्या ट्रस्ट फन्ड्स को इस तरह पब्लिक एकाउन्ट में लेना इर्रेगुलर होना नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—It is not a question. Next.

प्रश्न संख्या ८३४

अलवर में जंगलात का स्कूल खोलना

श्री रघुराजसिंह—Will the Minister for Forest be pleased to state ;—

(a) Is it a fact that the idea of opening a Forests School in Alwar has been abandoned by the Government ?

(b) If so, will the Government now consider to open that school in Shahabad (Kotah District) ?

श्री अमृतलाल यादव (मन्त्री, वन विभाग)—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८३५

उदयपुर डिवीज़न के ठिकाना जूडा के पड़ावली जंगल के कत्थे का ठेका देने सम्बन्धी

श्री भैरूँसिंह (डि० सं० १३)—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सन् ५३-५४ में ठिकाना जूडा भोमट, डिवीजन उदयपुर के पड़ावली जंगल के कत्थे का ठेका दिया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो कितनी हँडियों का और किस तरह से ?

(ग) क्या उक्त जंगल में ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया है ?

(घ) क्या ठिकाना जूडा के पडावली जंगल की हँडियाँ ठिकाना मादड़ी के जंगल को ट्रान्सफर कर दी गई हैं ?

(ङ) यदि हाँ, तो किस कारण और किस आधार से ?

(च) क्या हँडियें ट्रान्सफर करने पर एक्सेसरेटस (excess rates) ली गई हैं ?

(छ) यदि नहीं ली गईं, तो क्यों नहीं ?

(ज) क्या जूडा के जंगल के ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी (earnest money) जब्त की गई है ?

(झ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ट) इस कारण से सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(भूल से दूसरे ही प्रश्न का उत्तर पढ़ गये, असली उत्तर प्रश्नकर्त्ता द्वारा इस सम्बन्ध में ध्यान दिलाये जाने पर प्रश्न सं० ८३६ के उत्तर के पश्चात् दिया ।)

प्रश्न संख्या ८३६

राजस्थान सरकार के दफ्तरों के निरीक्षण सम्बन्धी नियम

श्री चाँदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री चाँदमल मेहता]

(क) राजस्थान सरकार के दफ्तरों का निरीक्षण करने के लिए क्या कोई नियम बने हुए हैं ?

(ख) यदि हाँ तो ये नियम राज्य पत्र कब प्रकाशित किये गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—राजस्थान सरकार के दफ्तरों का निरीक्षण करने के सम्बन्ध में नियम हैं कि नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—अलग-अलग दफ्तरों का नियन्त्रण किया जाता है और ऊपर के अफसर निरीक्षण करते हैं ।

श्री चाँदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है कि निरीक्षण करने के नियम हैं या नहीं, कि किस तरहसे निरीक्षण किया जाय ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं नहीं समझता कि नियम से माननीय मन्त्री का क्या मतलब है ?

श्री चाँदमल मेहता—जिस प्रकार हाई कोर्ट ने इन्स्पेक्शन रूल्स बना रखे हैं उसी तरह इन ऑफिसेज़ के निरीक्षण के लिए भी नियम बने हुए हैं या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—एग्ज़ीक्युटिव में निरीक्षण करने के लिए कोई नियम नहीं हैं, उनको निरीक्षण सम्बन्धी हिदायत की थी ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार ऐसा विचार रखती है कि इन्स्पेक्शन रूल्स के सम्बन्ध में कमेटी नियुक्त करके रूल्स बनाये जाँय ?

श्री जयनारायण व्यास—सिविल के लिए इन्स्पेक्शन करने का अलग तरीका होता है, एग्ज़ीक्युटिव के लिए अलग तरीका होता है, एकाउन्टस के लिए अलग तरीका होता है; इसीलिए इनके गजेटेड नियम नहीं होते ।

श्री चाँदमल मेहता—जो नियम बने हुए हैं उनमें क्या इस तरह के भी नियम बने हुए हैं कि इन्स्पेक्शन करने वाला व्यक्ति आम जनता से सम्पर्क रख कर इन्स्पेक्शन करे ?

श्री जयनारायण व्यास—दफ्तरों का निरीक्षण करना और जनता से सम्पर्क रखना, ये दोनो बातें आपस में मेल नहीं खातीं । दफ्तरों का निरीक्षण करने वाला जनता से सम्पर्क रख कर निरीक्षण करे, वह ठीक नहीं । हाँ सी. आई. डी. की बात दूसरी है ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार की यह जानकारी में है कि इस प्रकार के इन्स्पेक्शन रूल्स बनाने की हाई कोर्ट ने व्यवस्था की है और उससे करप्शन काफी कम हुआ है और हो रहा है। क्या सरकार एग्जिक्युटिव में भी इस प्रकार के रूल्स बना रही है?

श्री जयनारायण व्यास—जिस दफ्तर में किसी प्राइवेट आदमी के नाम के सम्बन्ध में शिकायत आती है उसे पूछना हो पूछा जा सकता है, वह तो दूसरी बात है और इन्क्वायरी की बात दूसरी है।

श्री चाँदमल मेहता—(अश्रव्य) जो ऑफिसर......

श्री जयनारायण व्यास—निरीक्षण और इन्क्वायरी में फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री भैरूँसिंह (डि० सं० १३)—श्री उपाध्यक्षजी, मैंने जो प्रश्न ८३५ पूछा था उसका जवाब दो लाइनों में ही दे दिया है।

श्री अमृतलाल यादव—श्री उपाध्यक्षजी, मैंने गलती से दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया था। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है—

प्रश्न संख्या ८३५ का उत्तर

(क) जी हाँ।

(ख) १२० हँडियों का ५३ रुपये फी हंडी से।

(ग) जी हाँ। ठेकेदार ने काम नहीं किया।

(घ) जी हाँ।

(ङ) पदावली जङ्गल में खेर के पेड़ (कत्था बनाने के वृक्ष) अभी कत्था बनने काबिल नहीं पाये गये।

(च) जी हाँ।

(छ) सवाल पैदा नहीं होता।

(ज) जी नहीं।

(झ) कत्था बनने काबिल जङ्गल नहीं था।

(ट) कुछ नहीं।

प्रश्न संख्या ८३७

कलेक्टरों का फिक्सेशन तथा अन्य आई. ए. एस अधिकारियों की इस पद पर नियुक्ति

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री नारायण चतुर्वेदी]

(क) क्या कलेक्टर का फिक्सेशन सीनियोरिटी के हिसाब के अनुसार कर दिया गया है ?

(ख) कितने ऐसे कलेक्टर हैं जो आई. ए. एस. नहीं हैं और वे किन-किन जिलों में काम कर रहे हैं ?

(ग) कितने ऐसे आई. सी. एस. अधिकारी हैं जो सीनियोरिटी के हिसाब से कलेक्टर पद के अधिकारी हैं और जिन्हें यह पद नहीं मिल पा रहा है ?

(घ) ऐसे कलेक्टरा को जो आई. सी. एस. नहीं हैं किन-किन महत्वपूर्ण जिलों में नियुक्त किया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) कलेक्टर्स की नियुक्ति, आर. ए. एस. अफसरों में से अथवा आर. ए. एस. के उन अफसरों में से, जिनको आई. ए. एस. की जगहों पर नियुक्त किये जाने की अनुमति प्राप्त है, की जाती है। दूसरे आर. ए. एस. अफसर उनकी सिनियरिटी तथा उपयुक्ति के आधार पर, स्थानापन्न कलेक्टर नियुक्त किये जाते हैं।

(ख) १३, संलग्न सूचि के अनुसार।

(ग) कोई नहीं।

(घ) महत्व की दृष्टि से जिलों का कोई वर्गीकरण नहीं है। तथापि सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, अलवर, गंगानगर और भीलवाड़ा महत्वपूर्ण जिले समझे जा सकते हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ८३८

कस्बा अलीगढ़ (जिला टोंक) की डिस्पेन्सरी को बन्द करने सम्बन्धी

श्री सरदारसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कस्बा अलीगढ़, डिस्ट्रिक्ट टोंक की डिस्पेन्सरी को सरकार बन्द कर रही है ?

(ख अगर हाँ, तो क्यों और किन-किन कारणों से ?

Page No.31

[श्री सरदारसिंह]

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र आये हैं ?

(घ) अब सरकार उन पर क्या विचार कर रही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) जी हाँ।

(ख) यहाँ पर आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक दोनों प्रकार की डिस्पेन्सरियाँ हैं। यहाँ से एलोपैथिक डिस्पेन्सरी को किसी ऐसे स्थान पर लगाये जाने पर विचार किया जा रहा है, जहाँ डिस्पेन्सरी का होना अलीगढ़ से अधिक आवश्यक है और जहाँ किसी प्रकार के इलाज का कोई साधन नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री सरदारसिंह—अगर अलीगढ़ में किसी के ओपरेशन का काम पड़ जावेगा तो कहाँ जावेगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—औषधालय है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या औषधालयों में ओपरेशन का काम होता है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—डिस्पेन्सरीज में भी नहीं होता।

श्री श्रीदास गोयल—औषधालय को हटाया जाकर वहाँ पर डिस्पेन्सरी रख दी जावे तो क्या ऐतराज है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—अगर लोग माँग करेंगे।

श्री सरदारसिंह—माँग तो की जा रही है।

श्री कुम्भाराम आर्य—अभी हम तक नहीं पहुँची है।

(हँसी)

श्री श्रीदास गोयल—अब क्या उस रिप्रेजेन्टेशन की खोज करके अलीगढ़ में डिस्पेन्सरी खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—खोज की जावेगी।

श्री श्रीदास गोयल—जब तक खोज नहीं हो तब तक वहाँ डिस्पेन्सरी रखी जावे।

श्री कुम्भाराम आर्य—(अश्रव्य)

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितनी कठिनाइयें आती हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कठिनाई बिल्कुल नहीं है

श्री हरिकृष्ण व्यास—फिर समय क्यों लगता है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वह रास्ता लम्बा है ।

(हँसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—रास्ता कितने मील का है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वह रास्ता मीलों का नहीं है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—फिर लम्बा कैसे हुआ ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वह बिना मील का है ।

श्री वेदपाल त्यागी—इसका मेजरमेंट क्या है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह रूटीन है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या विशेष मन्त्रियों के लिये इस रास्ते की विशेष लम्बाई नियत है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह समझा जावे कि सभी मन्त्रियों की एक ही लम्बाई है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कानून के मुताबिक काम का तरीका तो एक ही है ।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८३६

किशनगढ़ के यज्ञनारायण होस्पिटल में पोस्ट मॉर्टम के कमरे का अभाव

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ के यज्ञनारायण हॉस्पिटल में पोस्ट मॉर्टम के लिये कोई कमरा नहीं है ?

Page No.33

[श्री चाँदमलमेहता]

(ख) यदि हाँ, तो पोस्ट मॉर्टम कहाँ किया जाता है और वह स्थान हॉस्पिटल से कितनी दूर है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(क) जी हाँ।

(ख) मदनगंज व किशनगढ़ की श्मशान भूमि के पास स्थित पोस्टमॉर्टम के रूप में जो हस्पताल से लगभग दो मील की दूरी पर है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार ऐसे कमरे बनाना आवश्यक नहीं समझती ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कोई आवश्यक नहीं लगते।

श्री चाँदमल मेहता—दूसरे होस्पिटलों में भी ऐसा ही होता है क्या ?

श्री कुम्भाराम आर्य—हो सकता है।

श्री चाँदमल मेहता—(अश्रव्य)

श्री कुम्भाराम आर्य—वे श्मशान के पास पड़ते हैं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि होस्पिटल से कमरा दूर होने की वजह से कई मरतबा पोस्टमॉर्टम में देर हो जाती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—पोस्ट मॉर्टम दूर ही होना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार जहाँ पर होस्पिटलों में पोस्ट मॉर्टम होता है उसको बन्द करने के लिये सोच रही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जहाँ तक हो सके ऑपरेशन रूम दूर ही रहना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजस्थान सरकार को इन मसानों (श्मशानों) से इतना मोह क्यों है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—क्योंकि मुर्दे ज्यादा होते हैं यहाँ।

(हँसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह भी पंच वर्षीय योजना में शामिल है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८४०

ठिकाना पानखा भोमट (डि० उदयपुर) के जंगल की दस साला मोनोपोली समाप्त होना

श्री भैरूँसिह (१३) क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि ठिकाना पानखा भोमट डिवीजन उदयपुर के जंगल की दस साल मोनोपोली निकट भविष्य में खत्म हो रही है ?

(ख) क्या उक्त जंगल की मोनोपोली सरकार आगे बढ़ा रही है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—इसका जवाब दे दिया है। (फिर भी पढ़ कर सुनाया गया)

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) यह जंगल कठिन पहाड़ियों में है। ठेकेदार ने इसमें सड़कें आदि बनाने में काफी रुपया लगाया था और माल को बाजार तक लाने में उसे काफी खर्च पड़ा।

श्री भैरूँसिह—क्या मोनोपोली आगे बढ़ाई जा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८४१

लाम्बा (त० अराई) ग्राम के बीड़ में काश्त

श्री चांदमल मेहता—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) लाम्बा (तहसील अराई) ग्राम के बीड़ में कितने बीघा जमीन में काश्त हो रही है और यह काश्त कबसे हो रही है ?

(ख) ऐसे और कौन-कौन से बीड़ हैं जिनमें काश्त की इजाजत दी गई है ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) १६० बीघे रकबे में गत पांच वर्षों से फर्दन-फर्दन काश्त हो रही है ?

(ख) नोलखा व डागड़ा।

श्री चाँदमल मेहता—क्या पहले किसनगढ़ स्टेट में जो (अश्रव्य) बीड़ थे, उनमें काश्त की जा रही है?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर लाम्बा और दूसरे बीड़ों में काश्त का क्या कारण है?

श्री अमृतलाल यादव—यह अलग प्रश्न है, अलग प्रश्न पूछा जावे।

श्री चाँदनल मेहता—यह सम्बन्धित प्रश्न है और इसका उत्तर माननीय अध्यक्ष मुझे मिलना चाहिये।

(विराम)

लमबा के बीड़ में काश्त क्यों कराई जा रही है?

श्री अमृतलाला यादव—यह मुझे मालूम नहीं है, इसका प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर दूँगा।

प्रश्न संख्या ८४२

सांगानेर एरोड्रोम बनते समय कुछ काश्तकारों की भूमियें छीनी जाना

नारायण चतुर्वेदी—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सांगानेर एरौड्रोम बनते समय किन-किन काश्तकारों की जमीनें छीनी गई?

(ख) इन लोगों को इस जमीन और आम के बागों का क्या मुआवजा देना तय हुआ?

(ग) क्या यह सही है कि मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है और कागजात कलेक्टरी जयपुर में पड़े हैं?

(घ) यह मुआवजा अब कब तक मिल सकेगा।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) सांगानेर लैंडिंग ग्राउन्ड के बनाने के वक्त तीन काश्तकारोंकी यानि रूघनाथ पुत्र नानगराम, गुल्ला पुत्र ईशर, मोग्या पुत्र मोती की जमीनें एक्वायर की गई थी।

(ख) इन लोगों की जमीन व आम के दरख्तों इत्यादि का मुआवजा १९२१० रुपये जुलाई सन् १९४८ में देना तय हुआ था।

[श्री जयनारायण व्यास]

[ग] मकानों के मुआवजे की रकम ५४३१ रुपये पहिले ही निर्माण विभाग द्वारा दे दी गयी थी। शेष रकम १६७७६ रुपये ऐक्जीक्युटिव इन्जिनियर डिस्ट्रिक्ट ने डिप्टी कमिश्नर सवाई जयपुर को चेक द्वारा २० अगस्त १६४८ को भेज दी थी। कमिश्नर व कलेक्टर जयपुर से दरयाफ्त किया गया है कि उक्त रकम किस-किस तारीख को बाँटी गई है ! किन्तु अभी रिपोर्ट नहीं आई है।

[घ] यदि मुआवजा किन्हीं कारणों से नहीं बाँटा जा सका होगा तो अब बहुत जल्दी बाँट दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ८४३

सरकारी औषधालयों में इन्डोर पेशेन्टस द्वारा पेटेन्ट दवाइयां तथा इन्जेक्शन खरीदना

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि सरकारी अस्पतालों में इन्डोर पेशेन्ट्स को भी पेटेन्ट दवाइयां इन्जेक्शन आदि बाजार से खरीद करने पड़ते हैं।

(२) यदि हाँ, तो जो मरीज ऐसी दवाइयाँ खरीदने में असमर्थ हैं उनके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(१) जो इन्जेक्शन्स एवं औषधियां अस्पताल के स्टोर में साधारणतया रखी जाती हैं ऐसे रोगियों को मुफ्त दी जाती हैं और जो स्टोर्स में नहीं रखी जातीं वे बाजार से खरीदनी पड़ती हैं।

(२) असमर्थ रोगियों की सुश्रुषा, जहाँ तक सम्भव हो सके, अस्पताल की औषधियों से की जाती है और अनिवार्य स्थिति में अस्पताल के खर्च से वा डोनेशन फन्ड से खरीदने की कोशिश की जाती है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि ऐसे मरीज जो बाजार से दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं पेन्सिलिन इन्जेक्शन्स भी हॉस्पिटल से नहीं दिये जाते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—उत्तर दे दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही माना जाय कि पेनिसिलिन के इन्जेक्शन जैसी दवाई जरूरतमन्द आदमियों को देने के लिए बाजार से ही खरीदने का प्रोविजन रहता है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—हाँ।

श्री कानसिंह—क्या मन्त्री महोदय यह बतावेंगे कि क्या होस्पिटल में इस प्रकार का स्टेटमेन्ट रखा जाता है कि कितने आदमियों को बाजार से दवाइ लानी पड़ती है और कितनों को होस्पिटल से मिलती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं आपकी बात नहीं समझा।

श्री कानसिंह—क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि होस्पिटल में क्या कोई ऐसा रेकर्ड रखा जाता है कि कितने आदमी इन्जेक्शन्स बाजार से लाते हैं और कितने आदमियों को होस्पिटल से मिलते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, आप समझाइये पहले तो।

श्री कानसिंह—Little knowledge is a dangerous thing.

श्री उपाध्यक्ष—बात यह है कि प्राइवेट आदमी अगर बाजार से दवाइयां खरीदता है तो क्या होस्पिटल में उसका हिसाब रखा जाता है या नहीं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक दूसरे के नजदीक आ जाने पर भी क्या एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह बोलने वाले की जबान पर निर्भर करता है। प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा बाजार से दवाइयाँ खरीदने का हिसाब हमारे पास नहीं रहता है।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८४४

राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने सम्बन्धी आवश्यकताएँ

श्री जुझारसिंह—Will the Minister in charge of Medical and Public Health be pleased to state :—

(1) What is the criterion for starting a Medical or Ayurvedic dispensary in any part of Rajasthan ?

(2 Why has the Government, so far not considered the demand for Medical dispensary by Panchayat, "Mandita" Tehsil Sangod, inspite of their promise to fuilfil all the conditions laid down by the Government ?

(c) Will the Government do something about it in future ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(१) अभी कोई विशेष शर्तें नहीं है किन्तु अंलोपैथिक डिस्पेन्सरी के लिये ५००० की जनसंख्या व १० मील की परिधि तक किसी और डिस्पेन्सरी

[श्री कुम्भाराम आर्य]

का न होना ध्यान में रखा जाता है। नई आयुर्वैदिक डिस्पेन्सरी यथासम्भव पंचायत के हैडक्वार्टर्स में रखने का विचार है। जहाँ जनता मकान आदि की सुविधा देकर सहयोग देने को तैयार हो वहाँ की मांग पर पहिले विचार किया जा सकता है।

(२ व ३) मांग अभी आई है और उस पर और स्थानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

श्री रोशनलाल शर्मा—जहाँ मकान देने के लिए जनता तैयार है वहाँ कब तक डिस्पेन्सरी खोल दी जायगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—नियम के अन्तर्गत आवेगी, वहाँ खोल दी जावेंगीं।

श्री रोशनलाल शर्मा—नियम क्या है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—अभी मैंने बताया है।

श्री रोशनलाल शर्मा—अभी आपने बताया कि जहाँ ग्राम पंचायतों के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ और जहाँ मकानों की सुविधा हैं वहाँ डिस्पेन्सरी रखने का विचार है, तो क्या ग्राम पंचायत या जनता द्वारा मकान आदि देने की हालत में सरकार वहाँ सब जगह डिस्पेन्सरी खोलने के लिये तैयार है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जितना बजट है उतनी खोल देगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—कितनी गुन्जाइश है ?

श्री रघुराजसिंह—जब जनता शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है तो फिर क्यों नहीं वहाँ खोल दी जाती ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह बजट पर ही निर्भर करता है।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८४५

जमुआ रामगढ़ में आरामगाह के निकट वन विभाग के अधीन भूमि

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या वन विभाग मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जमुवा रामगढ़ में आरामगाह के पास वन विभाग के अधीन कितनी जमीन है ?

(ख) उक्त जमीन में से कितनी जमीन किस किस व्यक्ति के द्वारा काश्त होती है और उन्हें किस कायदे के अनुसार काश्त करने की आज्ञा दी है ?

(ग) उक्त जमीन का कितना लगान प्रति वर्ष जमा होता है और कहाँ होता है ?

[श्री नारायण चतुर्वेदी]

(घ) इस जमीन में कितनी ऐसी जमीन है जो भूतपूर्व जयपुर राज्य के समय काश्तकारों से जंगल सुरक्षित रखने के लिए ली गई थी और उनके इसमें कितने कुये हैं ?

(ङ) जमीन काश्त के लिए देते समय उन पुराने काश्तकारों को प्राथमिकता नहीं दी जाने का क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) लगभग एक सौ एकड़ ।

(ख) १५ एकड़ श्री ईसरा रेगर तथा २० एकड़ श्री मोहनलाल शर्मा टोंगिया काश्त करते हैं ।

(ग) टोंगिया काश्त की प्रथा अनुसार काश्तकार को वृक्ष लगाना अनिवार्य है और इसी शर्त पर काश्त की इजाजत होती है, ऐसी सूरत में लगान वसूली का सवाल पैदा नहीं होता है ।

(घ) कोई भूमि काश्तकारों से नहीं ली गई ।

(ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

प्रश्न संख्या ८४६

वन कार्य सिखाने के हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध

श्री चाँदमल मेहता—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या फोरेस्ट की ट्रेनिंग देने के लिये कोई स्कूल राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब और कहाँ ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) फोरेस्ट की ट्रेनिंग देने के लिए हाल ही में स्कूलें खोले गये हैं ?

(ख) ऐसे स्कूल चार हैं। तीन फोरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग के लिये और एक फोरेस्ट की ट्रेनिंग के लिए। ये स्कूल निम्न लिखित स्थानों पर खोले गये हैं :—

१. फोरेस्टर्स ट्रेनिंग स्कूल—अलवर ।

२. फोरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल—अलवर, उदयपुर, झालावाड़ ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या किशनगढ़ में इस सम्बन्धी कोई स्कूल खोलने की योजना थी और उसको रद्द कर दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—स्कूल खोलने के पहले पूरे तौर पर छान-बीन की गई और जहाँ अनुकूल हुआ वहाँ स्कूल खोले गये।

श्री कंवरलाल जेलिया—कोटा में ट्रेनिंग स्कूल था तो वहाँ से उसको क्यों हटाया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—उससे ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग स्कूल वहाँ चला गया है इसलिए उसको वहाँ से इधर ले आया गया।

श्री चाँदमल मेहता—क्या किशनगढ़ की उपयोगिता नहीं समझी गई ?

श्री अमृतलाल यादव—फोरेस्ट गार्ड्स की ट्रेनिंग के लिए किशनगढ़ में स्थान देखे गये थे किन्तु उनसे दूसरी जगह मकान उपयुक्त मिल गए इसलिए वहाँ खोल दिए गए।

श्री कंवरलाल जेलिया—यदि कोटा में स्थान मिल जाय तो क्या फोरेस्ट ट्रेनिंग के स्कूल की व्यवस्था वहाँ रह सकेगी। कोटा में जङ्गलात का हैडक्वार्टर होने से यह ठीक भी रहेगा।

श्री अमृतलाल यादव—आगे कोई स्कूल बढ़ाने की योजना हुई तो विचार किया जा सकेगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार यह उचित समझती है कि फोरेस्टर्स गार्डस ट्रेनिंग स्कूल घने जङ्गलों के समीप खोले जाँय ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी बात नहीं है। जहाँ फोरेस्ट स्कूल होते हैं वहाँ जङ्गल होते है, घने भी होते हैं और नहीं भी।

श्री श्रीदास गोयल—सवाई माधोपुर में भूतपूर्व हिज़ हाइनेस जयपुर की कोठी है और वह खाली पड़ी हुई है। क्या उसको फोरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल के लिए उपयोग में लिया जा सकता है ?

श्री अमृतलाल यादव—घने जङ्गलों की दृष्टि से ही अगर स्कूल खोलने सम्भव हो सकते हैं, जैसा कि आप कहते हैं, तो यह आर्थिक दृष्टि से सम्भव नहीं हो सकता।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार यह जरूरी समझती है कि फोरेस्टर्स, गार्ड्स को ट्रेनिंग के लिए प्रतिदिन घूमना जरूरी होता है ?

श्री अमृतलाल यादव—हाँ, जरूरी समझती है। इनकी उपयोगिता को भी दृष्टि में रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री एच. के. व्यास।

प्रश्न संख्या ८४७

सरकार द्वारा अलवर में बड़े शरणार्थी बिस्वेदारों को उनके क्लेम्स के लिए भूमि नियतन

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the minister for Rehabilitation be pleased to answer:—

(a) Is the Government allottig land to big rofugee biswedars in Alwar as compensation to their claims ?

(b) Is it a fact that the land is being allotted to them after ejecting the local poor pattedars ?

श्री अमृतलाल यादव—बड़े और छोटे का प्रश्न ही नहीं है। भारत सरकार की नीति के अनुसार भारत सरकार के पुनःसंस्थापन विभाग के सीनियर सेटेलमेंट ऑफिसर नाम के एक अधिकारी को छोड़ी हुई भूमि विस्थापितों को अर्ध-स्थायी आधार पर देने का कार्य सौंपा गया है। यह भूमि इन लोगों को इनकी पाकिस्तान में छोड़ी हुई प्रमाणित संपत्ति के एवज दी जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिन लोगों की पाकिस्तान में भूमि न भी रही हो, लेकिन यहाँ आकर दूसरों की भूमि पर बस गये हैं तो क्या उनको भी बेदखल किया जायगा ?

श्री अमृतलाल यादव—यह प्रश्न दूसरा है। अभी इस प्रश्न का सम्बन्ध यह है कि जिन लोगों को जमीन दी जा रही है वे वेरीफाइड क्लेम्स (verifid claims) के अन्तर्गत ही दी जा रही हैं और विना क्लेम्स के जमीन (अश्रव्य).

श्री हरिकृष्ण व्यास--आप कृपा करके प्रश्न (बी) को गौर से पढ़िये, जिसमें यह लिखा है कि क्या इस प्रकार दूसरे लोगों को इजेक्ट करके, जो कि पट्टेदार है, पाकिस्तान में छोड़ी हुई जमीन वालों को जमीन दी जा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—आपका (बी) प्रश्न यह है कि:—

"Is it a fact that the land is being allotted to them after ejecting the local poor pattedars."

लोकल पट्टेदार हैं, वे इजेक्ट नहीं किये जा रहे हैं। दूसरे उनकी लैंड पर कोई अधिकार नही रखते।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री उपाध्यक्ष—श्री जुझारसिंह ने एक प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए भेजा है जिसमें उन्होंने १८-५-५४ से दिनाँक ५-६-५४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय?

(आज्ञा प्रदान हुई)

आज्ञा प्रदान की जाती है।

सदन में समुचित प्रकाश की व्यवस्था सम्बन्धी

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, आज की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व मैं माननीय मुख्य मन्त्री व स्वास्थ्य मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस सदन की बैठक के समय दो-तीन आँखों के डाक्टर मौजूद हों ताकि जिनकी आँखें खराब हों उनका इलाज किया जा सके।

श्री कुम्भाराम आर्य [स्वास्थ्य मन्त्री]—यहाँ पर ऑपरेशन होगा तो सब अन्धे हो जायेंगे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैंने आपका जवाब सुना नहीं।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैंने कहा कि इस जगह ऑपरेशन उपयुक्त नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैंने ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया, माननीय मन्त्री भले ही ख्याल करते हों; हरेक आँख का इलाज ऑपरेशन से ही होता है तो उनके इस ख्याल के लिए मैं क्या कह सकता हूँ!

श्री कुम्भाराम आर्य—किसी की लाल आँखे मुझको दिखाई नहीं दी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—देखने में और पढ़ने में मुश्किल होती है इसलिए रोशनी का प्रबन्ध अच्छा होना चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास [मुख्य मन्त्री]—ज्यादा अच्छी रोशनी का प्रबन्ध कर दिया जायगा, यह इलाज बगैर डाक्टर के हो जायगा।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—यह जो एजेन्डा के कागज हैं वे भी काफी बारीक टाइप से छपने लगे हैं; अतः इन बारीक अक्षरों को बदल दिया जाना चाहिये।

पत्र-सम्वाद-दाताओं को बिना अधिपत्र के बन्दी बनाने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--एक एडजोर्नमेंट मोशन श्री एच० के० व्यास ने पेश किया है :

"That this House do now adjourn to discuss the arrest without warrant of newspaper correspondents resorted to by the Police in Ganganagar on the 17th instant. The names of the correspondents being Shri Kuldip Vedi, correspondent Urdu Milap and Shri Kamal Nayan, Editor, Sima Sandesh."

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, क्या आप मुझे इसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में दो शब्द कहने का मोका देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूँ कि यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का इतना नहीं है जिससे कि सारे हाउस की कार्यवाही को स्थगित किया जाय, इसलिये मैं इसको रूल आउट करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके रूलिंग के बाद एक प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के मोशन्स पर माननीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्णय दें उसके पहले इनकी एडमिसिबिलिटी पर कुछ कहने का सदस्यों को मौका मिले तो ज्यादा उपयुक्त होगा कि किस दृष्टि से यह प्रश्न उठाया जा रहा है और कैसे पब्लिक इम्पोर्टेन्स का है।

श्री श्रीदास गोयल—Once a ruling has been given it cannot be criticised. It is very late.

श्री वेदपाल त्यागी—The ruling has not been criticized. A request has been made to the Chair.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not criticizing the ruling. I am only making a request to the chair. The Member's sense should have.....

श्री उपाध्यक्ष—This is not acceptable.

श्री गुरुदयालसिंह संधु के सम्बन्ध में गृह-मन्त्री के वक्तव्य पर विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था उसका निर्णय अभी नहीं हुआ। उसकी अनुमति प्रदान करें, तो मोशन को मूव करूँ।

श्री उपाध्यक्ष—वह मेरे सामने अभी नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो, क्या आप मन्त्रीजी से या इस विभाग के सेक्रेटरी से पूछेंगे कि उसका क्या हुआ ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—रूल्स के मुताबिक प्रिविलेज मोशन का नोटिस सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव असेम्बली को दिया जाना चाहिये। वह नोटिस इस सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव असेम्बली को दे दिया गया था। उसके लिये सिर्फ इजाजत ही न दी जाय बल्कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम से वंचित रखने के लिये कुछ उचित कार्यवाही भी की जाय।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष क्या हम आशा करें कि इस पर कुछ निर्णय कर तय किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Dy. Speaker, Sir, I draw your attention to Rule 49, according to which a Member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised. All these conditions have been satisfied and I seek your permission under Rule 51 to raise this motion of privilege.

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रिविलेज मोशन है। This will be Considred on Monday.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Is there any special reason for postponing this till Monday.

श्री उपाध्यक्ष—This has not been seen by the Speaker and the Minister concerned. स्पीकर तक अभी नहीं पहुँचा है यह।

कु० श्री जसवन्तसिंह—That is true, but if you would be good enough to look to the Rules of Procedure it is no-where mentioned that the question should reach to the Minister or to the Speaker. All that is provided is that the notice will be given to the Secretary and this is sufficient for purposes of this motion and we do not know why this attitude has been taken to take it on Monday ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr Deputy Speaker, Sir, this will make no difference for the Minister will be informed and it will be taken up on Monday:

कु० श्री जसवन्तसिंह—It will not make any difference but why the rules of procedure have not been followed. We will just like to know this.

श्री उपाध्यक्ष—The Minister concerned is neither here nor he has been informed. He will have to be informed, you must know this.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I quite appreciate. My point is that under the rule a notice to the Minister is not necessary. Since this question is very urgent and Shri Gurdayalsingh has sent a telegram saying that all the statements made by

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

Shri Tikaram Paliwal are false, I may be permitted to raise it and the discussion may be postponed for the later part of the day, when the government might make a brief statement.

कुँवर श्री जसवन्तसिंह—There is one more point. I would like to know whether this Government of Rajasthan- I know it is a peculiar and extraordinary government- is run on the basis of joint responsibility or it is dependent on a particular Minister. If it is run on the basis of joint responsibility then any one minister may be absent- may not be present- something may happen to the Minister, he may not be in office, the work could not come to a standstill.

श्री जयनारायण व्यास—May I call attention to Rule 48 in which it is said 'Subject to the provisions of these rules a Member may with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a Member or of the House or of a Committee thereof." That is subject to the consent of the Speaker and the Speaker has got every right to refuse to entertain the question this time and to entertain it later. The Speaker is not here and Deputy Speaker is working here in his place He has a right to refuse his consent. It is within his power and I do not know if any Member of the House can challenge it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am afraid, the natural reading construction of the rules is suppressed. It is true that under Rule 48 a question could be raised with the consent of the Speaker but the form of obtaining his consent has been given in Rule 49 which reads :—A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary...' Then under rule 51 it has been laid down that if the Speaker gives his consent under Rule 48 he shall call upon the Member and then the Member shall get up and make a statement. If the Speaker does not give his consent he shall state that he has refused consent. To my knowledge I have not been able to find a postponement. This is the point. Further, Sir, this is a question regarding the admissibility......

श्री उपाध्यक्ष—I think he should not have any grievance. It can be refused but at present it is only postponed.

कुँ॰ श्री जसवन्तसिंह—We would certainly not mind it, but prompting is being given.

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I object to this.

श्री विशम्भरनाथ जोशी—It is a remark to the Chair.

कु० श्री जसवन्तसिंह—The Deputy Speaker has the courage of his conviction and we would be quite happy if you give the decision.

श्री जयनारायण व्यास—It is an insult to the Chair that a prompting is being given and the Chair acts according to the prompting. I would request the Hon'ble Member to withdraw these remarks.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I would certainly not withdraw this.

श्री जयनारायण व्यास—Withdraw the remarks. These remarks should be with-drawn.

कु० श्री जसवन्तसिंह—As a matter of fact I have said so publicly and if the records of the stenographers can be read I have full confidence in the Deputy Speaker and he has the courage of his convction and we would stand by his judgment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—And Sir I would.......

श्री उपाध्यक्ष—I don't think this should be made a question of such a big debate. It is an ordinary thing and it can be taken on Monday. I Consider that no better justice will be done after considering your (Shri H. K. Vyas's) privilege motion and there is no harm if it is taken on Monday. I have given this order and I think you will comply by this.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I would certainly comply by any order given by the Deputy Speaker.

श्री उपाध्यक्ष—No further discussion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What about my request that the question may be admitted and the discussions may be on Monday. According to the rules a decision has to be given.

श्री उपाध्यक्ष—I have given that it would be taken of on Monday.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Do I take it that I have to take it on Monday ?

श्री उपाध्यक्ष—It will be taken on Monday. It is postponed and not rejected.

राजस्थान तोल तथा माप विधेयक, १९५४.
(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति)

श्री उपाध्यक्ष--Presentation of the Select Committee Report.

श्री जयनारायण व्यास--Sir, I present the Select Committee Report on the Bill to provide for regulating the use of Weights and Measures in the State of Rajasthan and for other ancillary matters.

श्री अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने सम्बन्धी नियम की आवश्यकता पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष—Now we come to a controversial point.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—How controversial, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष—Because it will be debated by both the sides. No confidence motion by Shri Vedpal Tyagi. Before I call him to take this up I want to give some remarks.

(विराम)

हमारे यहां पर जो रूल्स बने हैं वे पंजाब के बेसिस पर बनाये गये हैं और ऐसा मालुम होता है कि पंजाब के रूल्स के अन्दर नो कॉन्फीडेन्स मोशन (अविश्वास का प्रस्ताव) स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध लाने के लिए कोई नियम नहीं रक्खे हुए हैं। मुमकिन है कि अब बाद में, विधान आने के बाद ये नियम वहां बन गये हों; पर हमने पहले से बने नियमों को ले लिया है।

अब, दूसरे जितने प्रान्त हैं उन सब में नियम बने हुए हैं और उन नियमों के अन्दर दो बातें खास देखने में आती हैं, या तो जो अविश्वास का प्रस्ताव मिनिस्ट्री के खिलाफ होता है उससे ज्यादा नम्बर सदस्यों का (समर्थन में) रक्खा गया है कि जो जब उसको छुट्टी (लीव) दी जावे उसके समर्थन में खड़े होकर वे समर्थन करें; या बराबर नम्बर।

हमारे यहां पर रूल्स के अन्दर मिनिस्टरों के विरुद्ध तो (अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये) २५ सदस्यों की तादाद रक्खी गई है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध कोई नियम ही नहीं रक्खा है। इसके बारे में यह बात अच्छी तरह से कही जा सकती है कि यह एक तरह की गलती थी क्योंकि नियम सब तरह के मौजूद होने चाहिये।

अब यह प्रश्न सामने आया कि इसका क्या तरीका रखना चाहिये। जो दूसरी रियासतों में कन्वेन्शन (तरीका) है और जो तरीका पार्लियामेंट में मौजूद है उसी के आधार पर हमारे यहां

[श्री उपाध्यक्ष]

पर नियम बने हैं। पार्लियामेंट के अन्दर भी इसके बारे में नियम हैं और प्रायः सभी प्रान्तों में इसके बारे में नियम हैं। उन नियमों को देखा गया तो जैसे बम्बई के अन्दर टोटल स्ट्रेन्थ का छठा हिस्सा इसके लिए रक्खा गया है; आसाम में सातवां हिस्सा......

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—आसाम में चौथा है।

श्री उपाध्यक्ष—हां, चौथा है।

और इसके अन्दर पेप्सू में १३ हैं आउट आॅफ ६०,
मैसूर में २० आउट आफ ६६, यानि १।५ और पेप्सू में भी १।५,

ट्रावन्कोर-कोचीन में १।३,
वेस्ट बैंगाल में १।३,
उड़ीसा में १।१०,
हैदराबाद में १।४,
बिहार में १।७,
मध्यभारत में १।५,
यू० पी० में १।५,
और इसी तरह से अलग-अलग प्रान्तों में है।

लेकिन प्रायः यह देखने में आया है कि १।५ कुल सदस्यों की तादाद का अक्सर प्रान्तों में है और खास करके 'बी' स्टेट्स में यह देखने में आया है और ऐसा भी कुछ लगता है कि जहां पर यह निश्चित तय नहीं है, लेकिन जहां आॅपोजीशन ज्यादा है वहां पर कहीं ऐसा देखने में मिलता है कि वहां पर यह तादाद ज्यादा रक्खी हुई है; बाकी आसानी से यह बात सामने नहीं लाई जा सकती। (विरोधी पक्ष 'हियर-हियर')

तो यह चीज सामने रखी जा रही है। चूँकि इस वक्त यह प्रश्न लिया जायगा तो इसमें दो विभाग हैं। पहला विभाग तो जैसा कि रिज़ोल्युशन होता है उनमें अगर इजाजत स्पीकर की हो गई तो मूव हो सके; उस पर चर्चा शुरू हो जाती है.........

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a pount of Order, Sir, if you permit.......

श्री उपाध्यक्ष—एक ओर जहां नो कॉन्फीडेन्स के मोशन का प्रश्न है, चूँकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए विभान में जो नियम है उनमें यह रखा गया है कि उनके लिए ऐसा नहीं है कि

[श्री उपाध्यक्ष]

एक-दो आदमी नाराज हों तो वह सारे सदन का समय उसमें जाया करें और सदन के नाम पर ऐसी-ऐसी बातें कहीं जायं जो कि उचित नहीं हैं। तो इसलिए यह रखा है कि दरअसल में काफी तादाद में लोग असन्तुष्ट होने चाहिए; दोनों सूरतों में। तो उसको मूव करने से पहले इजाजत की आवश्यकता रखी गई है। इजाजत पहले होनी चाहिए और फिर मूव किया जाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध और इसी प्रकार मिनिस्ट्री के विरुद्ध पहले इजाजत हो जाय तो उसके बाद बहस होगी और बहस होकर मेजोरिटी ऑफ वोट्स से पास होगा। इसमें विधान के अन्दर भेद रखा गया है। अगर मिनिस्ट्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव है तो मौजूदा जिस वक्त जो सदस्य आ जाते हैं उनमें से बहुमत जिस तरह का होगा उसी प्रकार से वह राय पास होगी लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए चूँकि वह ऑफिसर ऑफ दी स्टेट हैं, विधान के अन्दर उनको ऑफिसर माने गये हैं और विधान ने स्वयं इसमें एक विशेष बात रखी है कि जितनी तादाद रोल पर है। All the then members जितने हैं उसके बहुमत से हो; यानी मतलब यह है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव मानने के लिये मिनिस्ट्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने वालों से ज्यादा तादाद रखी गई है। तो यह सदन के सामने मैंने प्रश्न रखा है। इस बात का रूल्स कमेटी में विचार किया गया और रूल्स कमेटी की यह राय है कि यह होना चाहिए।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यूनेनिमसली हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष—यूनेनिमसली नहीं हुआ है। एक सदस्य, कुँ० श्री जसवन्तसिंह जी इसके विरोध में रहे। तो यह राय ली गई है कि रूल बना लिये जायं; लेकिन ऑनरेबल स्पीकर ने इस पर विचार किया कि इस वक्त अगर स्वीकार किया गया तो विरोधी-दल के जो और भी सदस्य हैं उनको यह महसूस हो, तो अब यह बहस हुई। वे (स्पीकर) अपने आप इसको स्वीकार कर लेते, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं करके; वैसे मौजूदा रूल्स में आपको बता दूँ कि जो हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने हुए हैं, वे स्पीकर के मन्जूरशुदा हैं और मन्जूर करते वक्त उनके सामने यह बात रखी गई थी कि अभी तो हम लोग इन पर अमल कर लेवें और हाउस को जब अनुभव हो जायगा, उसके बाद हाउस नये रूल्स पास करेगा; लेकिन चूँकि यह एक विशेष नियम है और यह नियम पहले रूल्स में रखा हुआ नहीं है और इस वक्त इसकी जरूरत पड़ गई है तो हाउस को यह बात निश्चित करना आवश्यक है कि क्या तरीका रखा जाय; उन्होंने इसको हाउस को भेजा है। एक तरीका तो यह है कि दूसरी असेम्बलीज़ में जैसा हो, उसको एडॉप्ट किया जाय। वे पालियामेंट के तरीके के ही अनुसार बने हुए हैं। अब तादाद, जैसा कि मैंने निवेदन किया, अलग-अलग स्थानों में जैसा कि वहां के सदन ने उचित समझा, रखी है।

अब विरोधी दल की ओर से जो प्रश्न हमारे सामने है वह यह है कि चूँकि यहां नियम बना हुआ नहीं है इसलिए इस वक्त यह नियम नहीं बनायें, जबकि यह प्रश्न सामने आ गया। अभी तक यह प्रस्ताव नहीं आने का अर्थ वह यह करना चाहते है कि इसके लिए लीव लेने के बारे में

[श्री उपाध्यक्ष]

कोई प्रोवीजन नहीं है, मिनिस्ट्री के बारे में प्रोवीजन है। ऐसी सूरतों में अब लीव लेने की जरूरत नहीं है। रिज़ोल्युशन मूव करने वाले सीधे मूव कर सकते हैं; तो भी उनकी राय, (बाधा) थोड़ा संतोष में इसको सुनना चाहेंगे, तो कहूँगा कि उनकी क्या राय है फिर और बहस में न उतर, मुख्य बात यह है कि उनका कहना यह है कि नियम नहीं है, और संविधान, कॉन्स्टीट्यूशन आफ इन्डिया, के अन्दर ऐसा कोई नियम नहीं है; तो फिर यह नियम नहीं बनाया जाय चाहे दूसरे प्रान्तों में हो और इसको मूव करने की इजाजत दी जाय और उसके लिए कोई बन्धन नहीं डाला जाय कि इजाजत के लिए, लीव देने के लिए कितने आदमी खड़े हों। किसी एक आदमी के खड़े होने की जरूरत नहीं है जैसे कि और प्रस्ताव उठा सकते हैं वैसे ही एक भी खड़ा होकर अपने आप शुरू कर दे। यह उनका विचार है। तो ऐसे यह दोनों तरह के विचार आपके सामने रखे हैं तथा और जगह जो अमल है वह भी आपके सामने रखे हैं, और हाउस को जो कुछ निर्णय करना हो इन बातों पर करे। सदन का यह विचार हो कि कोई नियम किसी और प्रान्त के आधार पर लिया जाय या कोई नियम नहीं बनाया जाय, ऐसे ही चला जाय, तो सदन जैसा चाहे वैसा प्रस्ताव ला सकता है; तो कन्वेन्शन बनेगा। मिनिस्ट्री के लिए हमारे यहाँ रूल बना हुआ है और उसमें २५ सदस्यों की तादाद रखी हुई है, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए मेरा खयाल है कि अब मैंने थोड़े में आपके सामने सारे विचार रख दिए हैं।

अब मैं चाहूँगा कि इसमें कुछ बात......

श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, I have got a constitutional difficulty.

मुझे कुछ सबमिट करना है। वह दिक्कत कॉन्स्टीट्यूशन की हो रही है। अगर इस सदन की यह राय है कि जो हमारा पवित्र कॉन्स्टीट्यूशन है...

श्री विशम्भरनाथ जोशी—Is the Hon'ble Member permitted to make a speech on the point of order.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Certainly I can Mr. Deputy Speaker. Sir, if yon want rowdism in the House I am prepared for it; otherwise I want to proceed in peace order and constitutionally.

श्री उपाध्यक्ष—मैं स्पष्ट कर देता हूँ। मेरा विचार है कि सदन किसी राय पर पहुँचे उसके पहले विरोधी दल के लोगों का क्या विचार है, उनको भी सुना जाय। उसके बाद......

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—It is a point of order and not a question of 'vichar'.

श्री उपाध्यक्ष—इसके बाद एक कॉन्स्टीट्युशनल डिफिकल्टी को महसूस किया। पहले आप अपनी राय सदन के सामने रख दें फिर चीफ मिनिस्टर साहब अपने विचार रख देंगे। फिर उन पर विचार करके हाउस अपना निर्णय लेगा।

श्री जसवन्तसिंह—My question is, if a point of order is not heard well

I don't know what I can call this Assembly. I mean after all......

श्री उपाध्यक्ष—You do'nt yield to the difficulty.

श्री जसवन्तसिंह—I have been inflicted, Sir, when I put my difficulty. It is a point of order.

वह प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है, अगर मेरे मित्र थोड़ा सा सन्तोष रखें और मुझे इजाजत दें तो उनकी कृपा होगी और अगर उनको......

श्री उपाध्यक्ष—आप इस बहस में नहीं पड़कर अपने प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर बोलिए।

श्री जसवन्तसिंह—बहस में मुझे इसलिए पड़ना पड़ता है कि बोलने के आपके जो फंक्शन्स हैं वे हमारे मित्र ले लेते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो अभी आपने थोड़ा भाषण दिया और जो स्थिति इस वक्त हो गई है उस पर जो कुछ आपने कहा हमने बड़ी सावधानी से सुना और उस पर गौर किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह विरोधी पक्ष कहलाते हुए भी, हर एक बात पर विरोध करना न कभी हमारा ध्येय रहा है और न कभी रहेगा; यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चाहे सरकारी पक्ष में बहुत से हमारे परम मित्र हों अगर गलती करें, तो ऑपोजिशन का यह कर्तव्य बन जाता है कि जो सही बात हमारे ध्यान में हो उसको जाहिर करें।

श्री जयनारायण व्यास—पहले पोइन्ट ऑफ ऑर्डर जाहिर कर दिया जाय और बाद में भाषण हो तो अच्छा हो। आपका क्या पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है?

(कई सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री जसवन्तसिंह—यदि आप इजाजत नहीं दें तो नहीं बोलूँ। यदि हाउस की यह इच्छा हो कि मैं नहीं बोलूँ तो नहीं बोलूँगा। यदि अप्रिय शब्द कहने पर सुनने में आपको कष्ट होता हो तो मैं नहीं कहूँ।

श्री उपाध्यक्ष--आपको कहने के लिए कोई रोकता नहीं है। कॉन्स्टीट्युशनल डिफिकल्टी क्या है, उस पर आप प्रकाश डालें।

(सदन में कुछ हल्ला)

श्री जसवन्तसिंह—मैं नहीं समझता कि चेअर फंक्शन कर रही है या मेरे मित्र कर रहे हैं ? Sir, it is a question of privilege now. Besides the Chair they are also functioning.

श्री विशम्भरनाथ जोशी—Both are in posession of the House; as members we are also functioning.

श्री उपाध्यक्ष—(श्री विशम्भरनाथ जोशी को संकेत करके) please don't disturb him. It is no advantage in disturbing him.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह (भाषण जारी रखते हुए)—मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि माननीय उपाध्यक्ष का बयान सुनकर ऐसा ख्याल आता है कि यह सवाल इस वक्त रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो कमी रह गई है उस कमी को आज ही पूरा किया जाय; इलेवन्थ अवर (eleventh hour) ही नहीं बल्कि टवेल्थ अवर, बल्कि जीरो अवर में और इसलिये कि किसी तरह स्पीकर के खिलाफ नो कोन्फीडेन्स मोशन न आ सके। हम उनकी राय पर इत्तफाक करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी डिफिकल्टी हमारा सेक्रेड कॉंस्टीट्यूशन (संविधान) है। यदि यह नहीं होता तो यह सवाल इस सदन में तय किया जा सकता था। आर्टिकल २०८ कॉस्टीट्युशन का जो है उसके ताबे रूल्स ऑफ प्रोसिजर बनाये जाते हैं। यहाँ क्या गलती रही, किस तरह रही यह सवाल इस समय पैदा नहीं होता। मगर यहाँ के रूल्स शुरू में पंजाब के रूल्स के माफिक बनाये गये थे। बाद में बहुत कुछ फेर सार हुई। एक रूल्स कमेटी स्पीकर द्वारा नियुक्त की गई। उसने बहुत मेहनत करके पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसिजर के आधार पर हमारे यहाँ के रूल्स ऑफ प्रोसिजर बनाये। फिर भी कमी रह गई तो कमी की पूर्ति के लिये यदि रूल्स ऑफ प्रोसिजर, आर्टिकल २०८ के ताबे सदन द्वारा बनाये जाते और अभी जो कमी बताई गई है, उसकी पूर्ति के लिये सदन को अधिकार है और सदन के सामने यह बात लाई जा सकती थी। मगर यह गौर करने की बात है कि आर्टिकल २०८ (२) के ताबे रूल्स ऑफ प्रोसिजर स्पीकर द्वारा बनाये गये हैं। कमेटी का निर्माण स्पीकर द्वारा किया गया है और फाइनल अप्रूवल भी स्पीकर द्वारा हुआ है, इसलिये जब तक सदन के रूल्स ऑफ प्रोसिजर को सदन न बनाये तब तक स्पीकर को पॉवर्स हैं कि जो काम कॉंस्टीट्युशन के ताबे स्पीकर को दिया गया है उसका पालन किया जावे। यह नरोत्तमलालजी जोशी का पर्सनल सवाल नहीं है। वे हमारे मित्र हैं, साथी हैं, हमने युनेनिमसली उनको स्पीकर चुना है। उनके प्रति हर तरह से उनका मान हम रखने को तैयार हैं। मगर उनकी ओफिशियल केपेसिटी में नो कॉन्फीडेन्स मोशन आया है और यदि रूल्स उन्होने बनाये हैं तो उसमें संशोधन भी स्पीकर ही कर सकते है न कि सदन। चाहे यह पर्सनल मैटर हो या नहीं, कॉंस्टीट्युशन में यह कहीं नहीं बताया गया है कि पर्सनल क्वेश्चन को खुद तय

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

नहीं करके सदन में लायेंगे। आर्टिकल २०८ के तीनों सब सेक्शन्स पर गोर करेंगे तो पता चलेगा कि यह स्पीकर के अधिकार की बात है कि स्पीकर चाहे तो किसी प्रोविजन को बदले या नया प्रोविजन शामिल करे। मगर इस वक्त सदन में गवर्नमेंट बैंचेज की मेजोरिटी का फायदा उठा कर यदि गवर्नमेंट ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को इस तरह से हल करेगी तो मैं यह कहूँगा कि जो पवित्र कॉंस्टीट्यु-शन है उसकी सिर्फ अवहेलना ही नहीं होगी, लेकिन जो डेमोक्रेसी है उस पर हम आघात कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी क्या बात हो गई है कि कॉंस्टीट्युशन के प्रोविजन की अवहेलना करके खास तौर पर ऐसा कार्य किया जा रहा है। जो सदन के पॉवर्स से बाहर की बात है उसको यदि सदन में लायेंगे तो यह अन-कॉंस्टीट्युशनल होगा इसलिये यदि स्पीकर इसको पास कर दें तो अच्छा रहेगा।

(श्री उपाध्यक्ष बोलने को खड़े हुए)

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir........

श्री जयनारायण व्यास—Who is in the possession of the House ?

श्री वेदपाल त्यागी—Another point of order I have got. आज की जो कार्य-सूची मिली है उसमें इस तरह का कोई आइटम नहीं रखा गया है, फिर आप आज सदन के नियमों में किस तरह संशोधन करेंगे ? यह ठीक हो सकता है कि आपको कोई तकलीफ महसूस होती होगी लेकिन एजेन्डा में यह आइटम नहीं होने के कारण आपको यह देखना होगा कि जो लोग आज हाउस में हैं उनको और जो लोग हाजिर नहीं हैं उनको सूचना दी गई है या नहीं कि आज रूल्स के अमेन्ड-मेंट का कार्य है। जब तक यह सूचना नहीं दी गई है वैसी हालत में पहले यह रूलिंग दें कि यह लिया जा सकता है या नहीं। यदि यह रूलिंग होती है तो फिर दूसरे पोइन्ट्स पर विचार किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir, I have a similar point of order. Under rule 20, "The Speaker, after considering the state of business of the Assembly, may allot so many days as may be possible for Private Members' Business and may allot different days for the disposal of different classes of such business and on days so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence."

My point of order is this, Sir, that 20th and 21st have been allotted for the Private Members' Business. Having been so allotted either Resolutions or Bills- a particular class of business may be taken up on a particular date but nothing else than the Private Members' Business can be taken on these days. They at least shall have precedence. I, therefore, object to the House considering this question at this stage because Rule 20 is an obligatory rule and violating that Rule will be illegal. That is my contention and according to that

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

the Private Members' Business shall have precedence. This must be immediately enforced.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—उपाध्यक्ष महोदय, ३ तरह के ऐतराजात पेश हुए हैं। मेरे मित्र श्री जसवन्तसिंहजी ने यह ऐतराज किया है कि यह जो रूल्स बने हैं उन्हें सदन बदल नहीं सकता, स्पीकर बदल सकता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह--This is a mis-representation of the facts.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, before any discussion on the constituional question commences a prior ruling might be given whether this question is going to be taken. If we come to the conclusion that it would be taken up today then all this can be taken up. If so I seek a ruling of the Chair under Rule 20 whether we can take any business other than the private Members' Business.

श्री विश्वम्बरनाथ जोशी—It is already under discussion and therefore no point of order.

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—It is not already under discussion.

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी—It is under discussion.

श्री उपाध्यक्ष—No discussions.

श्री रामकिशोर व्यास—May I draw attention to Rule 22—

"List of Business :—A list of business for each day shall be prepared by the Secretary and a copy there-of shall be made available for the use of every member". As this is the List of Business and as such it can be discussed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My contention, Mr. Deputy Speaker, is that Rule 22 has to be read in the light of Rule 20. It can not be treated as absolute rule, Sir. After having complied with the provisions of Rule 20, Rule 22 will operate. Rule 22 cannot operate detrimentally to Rule 20.

श्री उपाध्यक्ष—हम लोग अभी इस प्रश्न पर बहस कर रहे हैं कि इसमें कौनसा कन्वेन्शन फोलो किया जाय। जिस कन्वेन्शन की बात को, जिस सब्जेक्ट को, जिस मोशन को हम ले रहे हैं उससे ताल्लुक रखने वाली एक इन्सीडेन्टल बात है कि इसकी इजाजत के लिये क्या तरीका लेना चाहिये ? क्योंकि तरीका नहीं है; इसके बाद यह बात आती है कि यहाँ कोई स्पष्ट रूल्स इस

[श्री उपाध्यक्ष]

वक्त ले लिये जाँय कि कौनसा तरीका अख्त्यार करना चाहिये। ऐसी सूरत में चूंकि यह बहस रिलेवेन्ट है, इस रिज़ोल्युशन से, इसलिये इसके लिये इजाजत दी जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा ऐतराज रिज़ोल्युशन के लेने पर है। मेरा यह कहना है कि आज के दिन इस रिज़ोल्युशन को विचारार्थ नहीं लिया जा सकता। जब रिज़ोल्युशन को नहीं लिया जा सकता तो उससे सम्बन्धित बहस का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये।

मेरी अर्ज यह है कि आज का दिन प्राइवेट मेम्बर्स के बिजनेस के लिये मुकर्रर हो चुका था, वही होना चाहिये। यह ऐसा कानून है जिससे हम हट नहीं सकते। प्राइवेट मेम्बर्स का बिज़नेस नहीं हो जाता तब तक यह गैर कानूनी कार्य हम नहीं करें, यही मेरी प्रार्थना है। प्रस्ताव ही आज विचारार्थ नहीं लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—This is a private Member's business.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then, just one minute, Sir.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—How it is private Members' Business, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष—Because it has been moved by the private members.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Is it apprehensive that the Government should move a motion of no-confidence ?

श्री उपाध्यक्ष—The Government can bring a motion, because the Government by itself cannot remove the Speaker unless the House agrees.

श्री वेदपाल त्यागी—क्या इसी तरह का मोशन जो गवर्नमेंट के खिलाफ लिया जाता है, उसको प्राइवेट मेम्बर्स बिज़नेस कहा जायगा ? वह तो गवर्नमेंट बिजनेस है।

श्री उपाध्यक्ष—Bnt by rules it is moved.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, आपका रूलिंग तो चुका ही है, परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी चाहे तो स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कोन्फीडेन्स ला सकती है। इसलिये यह जो लिया गया है वह प्राइवेट मेम्बर्स बिज़नेस है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर यह प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस है तो फिर प्रोसीजरके बारे में; हमारे प्रोसीजर में साफ है कि किसी लीव की आवश्यकता नहीं है। विधान की धारा १७९ को देखें तो उसमें स्पष्ट दर्ज मिलेगा कि Speaker may be removed by resolution of the House. If it is a Private members business, it must have the fate of the same. क्योंकि रूलिंग दे दी है कि प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस है तो हमारे रूल्स के माफिक कोई लीव का प्रोविजन आवश्यक नहीं समझा गया है। इसलिये मैं मूव करता हूँ कि अविश्वास के प्रस्ताव को, इस प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस को, बगैर किसी लीव के, विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--स्पीकर के लिये नो कोन्फीडेन्स मोशन के लिये प्राइवेट मेम्बर्स मूव करते हैं, सिमिलर पोजीशन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव हो तो होती है। स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर दोनों की सिमिलर पोजीशन (similar position) है। इसीलिये इसमें लीव लेना एसेन्शियल है। इस तरह इसमें लीव लेना एसेन्शियल है, सदन की ओपीनियन के लिये सामने रखा है।

(कुछ उच्च स्वरों से)

If you find something irregular we can discuss.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am afraid...

श्री उपाध्यक्ष—Order ! Orper !!

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Order ! Order !!

श्री उपाध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री हरिकृष्ण व्यास--I will request you to hear me.

श्री उपाध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री हरिकृष्ण व्यास--I am raising a point of order.

श्री उपाध्यक्ष--I do'nt want to hear you. Order ! Order !! Order ! Order !!

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि जो दृष्टिकोण सरकार की तरफ से मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में, इस प्रस्ताव की एडमिजिबिलिटी के सम्बन्ध में और इस प्रस्ताव से सम्बन्ध रखने वाले कन्वेन्शन्स, ट्रेडिशन्स के सम्बन्ध में जो विचार देने वाला हूँ उनको सुनने में कुछ सदस्य ऐतराज करते हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जैसा कि मेरे साथ हुआ था।

श्री जयनारायण व्यास--समझता हूँ कुँ० श्री जसवन्तसिंह जी, जहाँ एक आवाज आ जाती थी तो उससे घबरा जाते थे लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह--घबराना हम जानते ही नहीं।

श्री जयनारायण व्यास--जिस संविधान के बारे में कुँ० श्री जसवन्तसिंहजी ने पवित्रता की घोषणा करते हुए कहा था कि पवित्र संविधान हैं, मैं भी उनका साथी, संविधान सभा में रह चुका हूँ और मैं कहता हूँ कि संविधान महा पवित्र है। हमें न सिर्फ शब्दों की तरफ ध्यान देना है बल्कि इसकी स्पिरिट, भावना की तरफ ध्यान देना है। धाराओं की तरफ ही मैंने अपने सदन का ध्यान आकर्षित किया था। उनसे यह स्पष्ट है कि स्पीकर, अध्यक्ष का स्थान जो है वह मिनिस्टरों से ऊंचा रखा गया है और सदन में कोई भी व्यक्ति जो आँखें रखता है वह सदन में देख सकता है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष को अधिकार है कि ऊपर बैठते हैं।

कु० जसवन्तसिंह--सेक्रेटरी भी ऊपर बैठता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--वैसे तो विज़िटर्स ऊंचे बैठते हैं।

श्री जयनारायण व्यास--इसलिये इस पवित्रता की रक्षा की तरफ ध्यान दिया गया है संविधान में। मेरे माननीय मित्र शायद विज़ीटर्स की तरफ ध्यान देकर कहते हैं पर वे सदन के अंग नहीं हैं, यह उन्हें मालूम होना चाहिये। वहाँ उनकी धर्मपत्नी बैठ सकती है, तो घर में भागीदार हो सकती हैं, यहाँ इतना ऊंचा पद देना अच्छा नहीं लगता।

(हँसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास--हाइट के स्थान से पद नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास--सदन की तरफ मेरे मित्रों को देखना चाहिये। गैलेरी की तरफ देख कर इन्स्पीरेशन (inspiration) नहीं लेना चाहिये। जो लोग गैलेरी की तरफ देख कर इन्स्पीरेशन लेते हैं, सदन की प्रतीष्ठा को कम करते हैं।

(आवाज "आप किससे इन्सपीरेशन लेते हैं?")

(सदन में कुछ हल्ला होने के कारण श्री मुख्य मन्त्री के भाषण का कुछ भाग अश्रव्य)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहने वाला था कि जिन धाराओं का आपने जिक्र किया उनमें यह साफ है कि अगर मिनिस्टर के खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो सदन से इजाजत ली जाती है और उसके साथ साथ संख्या भी निर्धारित है। हमारे यहाँ २५ की संख्या निर्धारित है।

[श्री जयनारायण व्यास]

लेकिन जब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आता है, जहाँ जहां नियम बनाए जाते हैं, संख्या जो मिनिस्टरों के खिलाफ निर्धारित है उससे ज्यादा अवश्य रखी गई है। यह भावना सभी विधानों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की प्रतिष्ठा देने के लिए......

श्री महावीर त्यागी—कॉन्स्टीट्युशन की भावना यह बता रही है कि अविश्वास का प्रस्ताव बराबर, कोई भी चाहे हो, वह विरोधी पक्ष का हो या पक्ष का हो, कर सकता है।

श्री जयनारायण व्यास—इस भावना के अनुसार मैंने सभी 'बी' राज्यों के इस सम्बन्ध में अंक इकट्ठे किये हैं जिनको मैं आपके सामने रखता हूँ।

पेप्सू, मध्यभारत और मैसूर......

(विरोधी पक्ष की तरफ से आवाज "ये बताये जा चुके हैं")

आप सुनिये मैं आपको बताता हूँ—

इन तीनों राज्यों में है उसका १/५ हिस्सा इजाजत दे, ऐसी बात रखी गई। हैदराबाद में १/४ हिस्सा व ट्रावनकोर कोचीन में १/३ हिस्सा है। अगर 'बी' राज्यों में ज़्यादा से ज्यादा उदार संख्या रखी जा सकती है तो वह १/५ है और सी राज्यों में विन्ध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी इसके लिए संख्या १/६ रखी गई है। 'ए' राज्यों में जो संख्या है उसकी तुलना हमारे यहाँ नहीं करना चाहते। यू. पी. जैसे हमारे पड़ोसी राज्य में भी यह संख्या १/६ है और कहीं कहीं १/४ भी है। इसके अलावा दूसरी तरह की संख्या भी आई हुई है जो १/६ से ज्यादा है; ये सब बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ नो कोन्फीडेन्स का मोशन पैदा ही नहीं होना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हाउस ऑफ दी पीपल में क्या फिगर्स हैं?

श्री जयनारायण व्यास—हाउस ओफ दी पीपल में १/१० हिस्सा रखा गया है, क्योंकि उसके मेम्बरों की तादाद बहुत ज्यादा है। वैसे देखा जाय तो कोरम में भी संख्या कम रखी गई है।

यह इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारे भारतवर्ष में हमारी भारतीय संस्कृति को देखते हुए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की प्रतिष्ठा को देखते हुए, हमारे संविधान की भावना को देखते हुए, सभी ने अपने कानून इस प्रकार बनाये हैं। हमने गलती की कि हमारे यहाँ कोई रूल्स नहीं बने। कई जगह (बातों पर) हमारे रूल्स नहीं बने हैं। मुझे याद है अपना मुकद्दमा जो मेरे खिलाफ चलाया गया था। मेरे खिलाफ मुकद्दमा दायर किया गया था उस समय त्यागीजी लॉ मिनिस्टर थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले उपलब्ध नहीं होते थे इसलिए उसके अभाव में अमे-

[श्री जयनारायण व्यास]

रिका और इंगलैंड के सुप्रीम कोर्ट के फैसले काम में लिए गये। जहाँ कहीं फैसले उपलब्ध नहीं होते तो दूसरी जगह के फैसले काम में लिए जाते हैं। जहाँ कहीं नियम नहीं होते वहाँ पर कन्वेशन्स और ट्रेडिशन्स बनाये जाते हैं और कन्वेशन और ट्रेडिशन्स जो बनाये जाते हैं वे हमारे सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल होने चाहिए। यह नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति खड़ा हो जाय और फिवोलस रिज़ोल्यूशन नो कोन्फीडेन्स का पेश कर दे। ये कन्वेशन सदन के बहुत गलत हैं. यह अविश्वास का प्रस्ताव होने वाला नहीं, किन्तु यह तो गाली देने का प्रस्ताव हो जावेगा।

श्री वेदपाल त्यागी—गाली नहीं दी जावेगी।

श्री जयनारायण व्यास—दूसरे राज्यों ने नियम बना लिए हैं और हमारा सदन भी ऐसे नियम बना ले तो बहुत अच्छी बात हो। अगर नियम नहीं हैं तो कन्वेन्शन लागू होने चाहिये। अध्यक्ष ने नियम बनाये हैं और वे ही इन्हें बदल सकते हैं, मगर उनका सिद्धान्त दूसरा है। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव है इसलिए वे यह नहीं चाहते। वे यह चाहते हैं कि किसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर ये बदले जावें।

श्री अवनिकुमार—क्या वे पदासीन नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—वे पदासीन हैं और ऑफिस में हैं। (कोलाहल) मेरे मित्र सुनने की कृपा करें।

जिन व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है वे नरोत्तम लाल जोशी हैं और इस समय अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप आकर इनको बदलें। वह आकर पदासीन हो सकते हैं लेकिन यह एक शिष्टाचार का नियम है, इसलिए वे दूसरे को कहते हैं कि आप इस पर बैठे, मैं इस पर नहीं बैठूँगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसा विधान में दर्ज है, शिष्टाचार नहीं।

श्री जयनारायण व्यास—विधान में शिष्टाचार को देख कर दर्ज किया जाता है। विधान शिष्टाचार का आधार रखता है, इसलिए विधान और शिष्टाचार को दो नहीं कर सकते। कन्वेन्शन और शिष्टाचार बराबर एक साथ रहते हैं और जहाँ विधान चुप रहता है वहाँ कन्वेन्शन बनाने पड़ते हैं। इसलिए चूँकि उनका यह पर्सनल सवाल है, इसलिए यही उचित है कि सदन के हाथ में यह निर्णय करने को सौंपा जावे कि वह जैसा चाहे कन्वेन्शन बना ले। हाउस कन्वेन्शन अच्छे बनाना चाहता है या नहीं, यह देखने की बात है। सदन तो सुप्रीम बोडी है, इसको नियम बनाने का अधिकार है। जब रूल्स नहीं हैं तो सदन कन्वेन्शन स्थापित करेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि 'बी' स्टेट के राज्यों में जहाँ $\frac{1}{2}$ संख्या का नियम है और 'सी' स्टेट में भी $\frac{1}{2}$ हिस्से का नियम

[श्री जयनारायण व्यास]

है, 'ए' में भी है, यानि सब जगह ½ है। मैं ½ और ⅔ की तरफ नहीं जाना चाहता, इसलिए इस नियम के अनुसार ⅔ हिस्से के आदमी खड़े होकर इस प्रकार की भावना व्यक्त करें, न कि ऐसी कन्वेन्शन पैदा करें कि किसी भी एक आदमी को जैसा भी वह समझे, कुछ भी कह दे। इसलिए मैं इस कन्वेन्शन के लिए आपसे प्रस्तावना करूंगा कि इस बारे में सदन की राय आप जान लें और जैसी सदन की राय हो उसी तरह किया जावे।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्षजी, चूंकि प्रस्ताव मेरा है, मुझे भी बोलने का मौका दिया जावे।

जैसा कि मैंने चीफ मिनिस्टर के भाषण को सुना उससे मुझको कुछ ऐसा भ्रम हुआ कि चीफ मिनिस्टर ने आर्टिकल की तरफ ज्यादा गौर नहीं किया। जिस आर्टिकल की तहत हमारे इस सदन को रूल्स बनाने का अधिकार दिया गया, मैं मानता हूँ कि हमारा हाउस सुप्रीम बोडी है, सोवरिन ऑथोरिटी है, इस पर किसी को विरोध नहीं है; लेकिन कन्वेन्शन बनाने के खातिर विधान की इन धाराओं की, जो लिखी हुई हैं, अवहेलना नहीं कर सकते।...

एक माननीय सदस्य—(अश्रव्य)

श्री वेदपाल त्यागी—But not against the Constitution.

(विराम)

मैं यह निवेदन करूंगा कि विधान में स्पष्ट लिखा है कि किस प्रकार हमारा हाउस रूल्स बनायेगा और जब तक हाउस रूल्स नहीं बनाएगा रूल्स स्पीकर के द्वारा बनाये जावेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि यदि मुख्य मन्त्री आर्टिकल २०८ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते तो वे शायद कन्वेन्शन की बातें नहीं करते। कन्वेन्शन उस वक्त सामने आता है जब कि विधान के अनुसार रूल्स बने हुए हों और उनमें कोई खामी रह गई हो। विधान की धारा स्पष्ट है कि कन्वेन्शन के तौर पर रूल्स नहीं बनाये जाते हैं, क्योंकि ये विधान के खिलाफ जाते हैं। आपकी तवज्जोह संविधान की धारा २०८ की तरफ दिलाऊंगा:—

"208 (1). A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business."

तो आज तक हाउस ने कोई रूल्स नहीं बनाये हैं, इसलिए आर्टिकल २०८ का क्लॉज (२) लागू होता है:

"(2). Until rules are made under clause (1), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this Constitu-

[श्री वेदपाल त्यागी]

tion wich respect to the Legislature for the corresponding province shall have effect in relation to the Legislature of the State subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Speaker of the Legislative Assembly, or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be."

चूंकि अभी तक हाउस ने कोई नियम नहीं बनाये हैं; जैसे कि आपने अपने शुरू के भाषण में कहा था, हम आपको यह कह देना चाहते हैं कि रूल्स यदि एडॉप्ट किये गये हैं तो वे हाउस के समक्ष नहीं रखे गये, यद्यपि कई सदस्य महोदयों ने प्रार्थना की थी कि रूल्स डिफेक्टिव हैं, तरमीम करने जरूरी हैं, उनको हाउस में पेश करें। आज सिर्फ इसलिये तरमीम कर रहे हैं कि उनके (स्पीकर के) खिलाफ नो कॉन्फीडेन्स मोशन आ गया है। वे यह देखते हैं कि नो कॉन्फीडेन्स मोशन टालने का और कोई तरीका नहीं कि इनको सदन के सामने रख दें। रूल्स कमेटी की रिकमन्डेशन पर जो हमारे प्रचलित नियम हैं उनके आधार पर अमेन्डमेंट कर सकते हैं या नहीं, यह भी एक विषय है। आर्टिकल २०८ के तहत अध्यक्ष महोदय को एक दफा एडेप्टेशन का अधिकार दिया गया है। हाउस ओफ दी पीपुल में यही क्वेश्चन मि० मारे ने उठाया था तो उस पर कोई रूलिंग वहाँ के स्पीकार मावलंकरजी ने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट को वह रेफर किया गया कि क्या यह अधिकार है कि जब चाहे तब उनको तरमीम कर दें। जब नो कॉन्फीडेन्स मोशन उनके खिला है तो क्या यह तरमीम की जा सकती है? तो हमारे आर्टिकल २०८ और नियमों में साफ है कि रूल्स कमेटी स्पीकर को नये नियम एडॉप्ट करने की राय देगी। जब स्पीकर साहब के खिलाफ आवाज उठायी जा रही है उस समय उनको क्या एडॉप्ट किया जावेगा? मेरे मित्र कहते हैं कि उधर (विपक्ष) से कोई भी आदमी उठ कर गाली दे सकता है। हाउस में चुने हुए सभी हैं। आज आपके हाथ में राज्य की बागडोर है और इधर के हाथ में नहीं है, किन्तु सभी चुने हुए हैं और सब जिम्मेदार हैं। विपक्ष में चाहे कम सदस्य हों, किन्तु क्या अध्यक्ष महोदय को छूट है कि वे मनमानी करें और इधर के लोग न बोलें। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये रूल्स पहले नहीं थे, कल बनाये गए हैं। विधान के अन्तर्गत जो रूल्स हैं, हाउस को पावर है कि वे रूल्स काम में लावें। रूल्स नहीं थे अब तक। अविश्वास के प्रस्ताव को, यह कह कर नहीं टाला जाना चाहिए कि कन्वेन्शन अच्छे होने चाहिए, कल्चर यह थी, वह थी। कल्चर कहना अच्छा है, किन्तु जब अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा तब उस कल्चर की पवित्रता को आप संदूक में रख देंगे। कोई नहीं कहता कि पवित्रता के खिलाफ जॉय, किन्तु जो रीयल चीज़ है तो उसका तोड़-मरोड़ करना कानून के खिलाफ है। विधान की खिलाफवर्जी करना महा-पाप माना जाता है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज़ विधान है। डेमोक्रेसी में विधान की अवहेलना करना, एक अविश्वास के प्रस्ताव को टालने के लिये, तो मैं निवेदन करूंगा कि यह न हाउस को शोभा देगा, न हमको शोभा देगा। मेरे मित्र दुबारा गौर करें। आपके जरिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह जो प्रोविजन है उसमें साफ कहा गया है कि जब तक हाउस कुल रूल्स न बना ले तब तक एक रूल तरमीम नहीं कर सकता। आप उसको साइट

[श्री वेदपाल त्यागी]

करते हैं। यह कॉंस्टिट्युशन के खिलाफ जायगा और हमें यह शोभा नहीं देता कि हम कॉंस्टिट्युशन की खिलाफवर्जी करें।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताऊं कि रूल्स कमेटी बनी हुई है जो मौजूदा रूल्स ऑफ प्रोसिजर को देखकर नये नियम बनाती है। रूल्स कमेटी के अन्दर लिखा है :—

"Subject to the provisions of these Rules a Rules Committee shall be constituted to consider matters of procedure and conduct of business of the House and recommend to the Speaker any amendments or additions to these Rules that may be considered necessary."

श्री वेदपाल त्यागी—Not to the House ?

श्री उपाध्यक्ष—अमेन्डमेंट में एडीशन्स भी रूल्स कमेटी करेगी। उसी के तहत रूल्स कमेटी ने ये एडीशन्स तजवीज किये हैं और उन एडीशन्स को स्पीकर ने फोर्वर्ड किया है। वह जो तजवीज उन्होंने की है वह मैं आपको पढ़कर चाहें तो सुना दूं।

"**69A No-Con fidece Motion against the Speaker on Depnty Speaker:**—Any resolution to remove the Speaker or the Deputy Speaker from office, of which the required notiee of 14 days has been received, shall be read to the Assembly by the Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding. He shall then request those Members who are in favour of leave being granted to move the Resolution to rise in their places, and if not less than 1/5 th of the total number of the members rise accordingly, the Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding shall allow the Resolution to be moved. If less than 1/5 th of the total number of Members rise, the Speaker shall inform the intending mover thereof that he has not the leave of the House to move it."

(विराम)

तो रूल्स कमेटी ने जो ऐडीशन्स तजवीज किये और स्पीकर ने एप्रूवल के लिए हाउस के पास उन्हें भेज दिया है तो क्या इसको स्पीकर का एप्रूवल मान लें ?

कुं० श्री बलवन्तसिंह—Under what rule ?

श्री वेदपाल त्यागी—Has he approved it ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—We want to know whether he has approved it, Let him give approval.

श्री वेदपाल त्यागी—Then we have another Constitutional difficulty. Our main objection is that he cannot go to the House.

श्री उपाध्यक्ष—It can go to the House. There should be no objection.

श्री वेदपाल त्यागी—Under what rule can the rules of procedure and conduct of business be referred by the Speaker to the House and whether the House can give any consent thereon under any of the existing rules today ? That is the question today,

श्री उपाध्यक्ष—There are inherent powers of the House.

श्री वेदपाल त्यागी—The inherent powers cannot go against the specific provisions of the Constitution.

श्री श्रीदास गोयल—प्रश्न यह है कि स्पीकर साहब की पोज़िशन युनीक (unique) है और रूल्स ओफ प्रोसीजर के अन्तर्गत जो रेफरेन्स उनको दिया गया है (विपक्ष की ओर से हँसी) उन्होंने उसी तरह से किया है जैसे कि किसी जज के विरुद्ध एलीगेशन होने पर स्वयं मुकदमे की सुनवाई न करके दूसरी अदालत में ट्रान्सफर के लिए भिजवा देता है । स्पीकर साहब ने उस कमेटी की रिकमन्डेशन को फोरवर्ड कर दिया, बिना किसी नोट के । हेल्दी कन्वेन्शन की दृष्टि से इस प्रकार की चीज़ को मन्जूर करना चाहिये ।

श्री वेदपाल त्यागी—Then instead of avoiding it, he should state clearly.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—मेरी इस्तदुआ उन रूल्स को बदलने की नहीं थी । सदन की प्रतिष्ठा को देखते हुए और पद की प्रतिष्ठा को देखते हुए हमको ऐसी परिपाटी कायम करनी चाहिये जो परिपाटी अनुकूल हो । रूल्स के बारे में बाद में विचार किया जा सकता है । कन्वेन्शन तो आज कायम कर सकते हैं । मिसाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के कन्करेन्ट (Concurrent) पॉवर्स हैं । उन्होंने कन्वेन्शन कायम की कि हाईकोर्ट ही इसका फैसला कर दे जबकि नियम यह है कि पहले हाईकोर्ट में जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट में । इसलिए हमें भी ऐसे कन्वेन्शन कायम करने चाहिये ।

श्री वेदपाल त्यागी—But, Sir, there is no concurrent jurisdiction here.

श्री उपाध्यक्ष—अलग अलग विचार रखे गए हैं। सदन जैसा पसन्द करे वैसा तरीका वह अख्तियार कर सकता है।

श्री वेदपाल त्यागी—But how ? Under what article of the Constitution can the House give judgment on the amendment, on the advisability of the amendment to rules ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—We will be quite pleased and prepared if this question is referred to the Speaker of the House of the People, and till the time the question is examined, any ruling of this kind will be most unfortunate, I am sorry to say.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to have one clarification, as to what motion we are discussing ? Are we discussing the report of the Rules Committee, and if not, what is the motion under discussion ? At the moment I am not aware if the House is seized of any particular motion ?

श्री वेदपाल त्यागी—One more clarification I would like to have; whethre these recommendations of the Rules Committee have been approved by the Hon'ble Speaker or not ?

श्री उपाध्यक्ष—The Speaker has forwarded it to the House.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I would like to give a simple and humble suggestion. We are as enxious the Hon'ble Chief Minister that healthy conventions should be established. For this purpose the question which is a controversial one should be......

श्री उपाध्यक्ष—I will read out the recommendations of Speaker.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I put the suggestion to the House that this question may he referred to the Speaker of the House of the people so that he could say what would be the real position. Till then, this question may be held in abeyance, or if this House approves, it may be referred to the High Court.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बहस हुई है उसमें एक तरह का मोशन आया है......

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—एक भी मोशन नहीं।

श्री जयनारायण व्यास--(अपना भाषण जारी रखते हुए) आइडियाज़ के रूप में जो कहा जाता है वही मोशन होते हैं; मोशन उसे कहते हैं जिसमें आइडियाज़ को शब्दों में रख दिया जाय। एक तो यह विचारधारा है कि जो रूल्स कमेटी ने सिफारिश की है उसे विचारार्थ लिया जाय जो पटिक्युलर रूल के सम्बन्ध में है उसे विचारार्थ ले लिया जाय।

दूसरा जो मोशन की तौर पर रखा जा रहा है उसमें सदन की प्रतिष्ठा और पद की प्रतिष्ठा को देखते हुए ऐसे कन्वेन्शन डाले जाँय जिससे ¾ से कम आदमी अविश्वास के प्रस्ताव के साथ न हों तो ऐसे अविश्वास के प्रस्ताव को विचारार्थ न लिया जाय। मैं इसके लिए एक डेफिनिट प्रोपोजल रखता हूँ, सदन उस पर विचार करे......

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो प्रस्ताव बहस के लिए आया है वह कौन-सा प्रस्ताव है, उसकी क्या भाषा है, किसने प्रस्तुत किया है, इसकी पहले सूचना होनी चाहिये ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—प्रस्ताव जयनारायण व्यास, मुख्य मन्त्री, राजस्थान सरकार ने रखा है और इसका समर्थन करने के लिए भी कोई न कोई खड़ा होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Wordings of the resolution

श्री वेदपाल त्यागी—यह जो प्रस्ताव रखा गया है वह किसी दिन ले लिया जाय और जो मेरा मोशन है उसको पहले ले लिया जाय। जो कुछ भी कन्वेन्शन के लिए आप रख रहे हैं उसको आप किसी दिन के लिए रख सकते हैं। पहले आपके सामने जो एजेन्डा है उसके अनुसार मुझे अपने मोशन को मूव करने के लिए इजाजत दी जाय।

श्री जयनारायण व्यास—उसी मोशन पर यह प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष--This is a relevant ancillary motion and will be taken first.

श्री वेदपाल त्यागी—यहाँ भी एक प्रोसीजर का सवाल खड़ा किया जा सकता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—On a point of order, Sir, is the Hon'ble Member challenging the ruling of the chair ?

श्री वेदपालत्यागी—यह सवाल प्रोसीजर का है। I am not challenging.

श्री उपाध्यक्ष—Mr. Joshi, you should not worry.

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री हरिकृष्ण व्यास—May I know, Sir, whether my amendment has been allowed ?

श्री उपाध्यक्ष—The motion cannot be allowed.

श्री वेदपाल त्यागी—The motion can be allowed when it has been discussed by the House perfectly.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir...

श्री जयनारायण व्यास—This is a challenge to the ruling of the Chair. I remember the Deputy Speaker has already given a ruling on this question that it cannot be allowed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir,......

(विराम)

Mr. Deputy Speaker, Sir, on a point of order, Sir, a motion cannot be said to be in existence unless this be put down in exact language and then later on, it can not be taken into consideration unless it has been circulated and at least seven days'notice has been given. Therefore before this motion is made, it should be circulated and 7 days' notice must be gliven. Then it can be taken into consideration.

I want a particular ruling on this point of order.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख पेश करने के लिए आया है वह प्रस्ताव किस तरह से सदन में लिया जाय, इस पर चर्चा चल रही है। मेरे ऑपोजिशन के साथी यह चाहते हैं कि जो प्रस्ताव उनके द्वारा रखा गया है उसको पेश करने दिया जाय। मैं उसके लिए एक दूसरी विचारधारा सदन के सामने रखना चाहता हूँ। जो प्रस्ताव रखा जा रहा है उसके पीछे सेंक्शन होनी चाहिये, यह दूसरी विधान सभाओं में कानून लागू है उसके मुताबिक है। इसलिए सदन की राय जान ली जाय कि वह इस प्रकार के प्रस्ताव रखने की इजाजत देता है या नहीं। अगर माननीय मित्र जिन्होंने यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, उन सज्जनों के पीछे अगर — आदमी नहीं हैं, यदि उनको विश्वास

[श्री रामकरण जोशी]

नहीं है कि उनके पक्ष में १/५ आदमी हैं तो मैं समझता हूँ कि अब सवाल इस बात का है कि क्या श्री त्यागीजी को १/५ आदमी उनके प्रस्ताव के पक्ष में न होते हुए भी, इसे पेश करने की इजाजत दी जाय या नहीं; इस पर सदन की राय ले ली जाय?

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में रूल्स साइलेन्ट हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी स्पीच के बाद माननीय मित्र जो ट्रेज़री बेन्चेज़ पर बैठे हैं वे भी मेरे मत के हो जायेंगे। मैं बहुत ठीक ठीक बातें कहूँगा। मेरा प्रस्ताव प्रस्तुत होने दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि पक्ष में कितने हैं और विपक्ष में कितने।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मन्त्री)—सैंक्शन तो होनी चाहिए।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह तो कॉन्स्टीट्युशनल पोइन्ट ऑफ आर्डर है, जिसे किस तरह से मेरे मित्र, मुख्य मन्त्री जी इवेड (evade) कर जाते है। क्या यह कॉन्स्टीट्युशनली लिया जा सकता है या नहीं?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—This is a distortion of fact.

श्री वृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर कानूनी आपत्ति उठाई गई है और विधान की धाराओं का उल्लेख किया गया है। इस विषय में मैं सदन के सम्मुख कुछ अर्ज़ करना मुनासिब समझता हूँ। यह अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि वास्तव में जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हमारे यहाँ पर बनाये गये थे और जिन रूल्स ऑफ प्रोसीज़र को एडॉप्ट करके हम काम कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारे यहाँ पर काम हो रहा है। यदि हमने उन रूल्स ऑफ प्रोसीजर को एडॉप्ट कर लिया है तो फिर......

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—सदन के सम्मुख एडॉप्ट नहीं किये गए।

श्री वृजसुन्दर शर्मा—(अपना भाषण जारी रखते हुए) और इसके लिए आपत्ति उठाई गई है, धारा २०८ के तहत में उठाई गई है और यह कहा जाता है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर हमारे यहाँ स्पीकर साहब ने बनाये हैं तो अगर कोई तरमीम कर सकता है तो स्पीकर साहब ही तरमीम कर सकते हैं? रूल्स में ऐसी कोई बात नहीं है कि यदि कोई नयी बात खड़ी हो जाय तो फैसला दे सके। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान संविधान की धारा २०८ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें स्पष्ट रूप से सदन को अधिकार दिया गया है कि वह अपने काम-काज के लिए नियम बना सकता है। जो नियम चालू हैं, वे चालू रहेंगे। लेकिन रूल में नई बात नहीं, ऐसी बात नहीं तो उसमें सदन को पूरा अख्त्यार है कि वह बगैर नियम बने हुए उसका फैसला दे सके और नए नियम बनाये। इसके लिए सदन को कोई रुकावट नहीं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

संविधान के अनुच्छेद २०८ इस प्रकार है:—

"(1)" A House of the Legislature of a state may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business.

(2) Until rules are made under clause (1), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this Constitution; with respect to the Legislature for the corresponding province shall have effeet in relation to the Legislature of the State snbject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Speaker of the Legislative Assembly and tee Chairman of the Legislative Counoil, as the esse may be."

श्री वेदपाल त्यागी—Have thay been made ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(अपना भाषण जारी रखते हुए) रूल्स बन चुके। स्पीकर साहब को तरमीम करनी थी। इसको घटा-बढ़ाकर अमल में लाया जाय। अगर इस प्रकार की कोई नई चीज आती है तो उसके लिए इस धारा के क्लॉज (१) की तहत में हाउस को इस बात का निर्णय करने का पूरा अधिकार है।

अगर हाउस यह करता है कि वास्तव में लीव ली जानी चाहिये तो हाउस के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, लीव हासिल करनी चाहिये अविश्वास का प्रस्ताव पास करने से पूर्व। अगर लीव हाउस दे देता है तो अविश्वास का प्रस्ताव रक्खा जा सकता है।

अब सवाल यह उठता है कि हाउस में से कितने सदस्य खड़े हों तब जाकर लीव दी जा सकती है। इसके बारे में भी सदन को अख्तियार है कि वह यह तय करे कि उसके लिए भी कितने सदस्य राय जाहिर करें; आया ½ सदस्य या ⅓? यह तय हो जाय तभी अविश्वास के प्रस्ताव को उपस्थित करने की इजाजत दी जा सकती है और इन सबको तय करने के पूरे अख्तियारात इस सदन को है और अब तक ऐसे रूल्स नहीं होने से इस सदन को हक हासिल है। अगर रूल्स होते तो कोई बात नहीं थी। अब आर्टिकल २०८ के मातहत इस सदन को पूरा अख्तियार है कि वह इस बारे में कोई रूल्स बनाए। इसलिए मेरा निवेदन यही है।

सदन के सामने माननीय उपाध्यक्ष ने स्वयं यह प्रश्न रक्खा है कि सदन को यह तय करना है कि ऐसे अविश्वास के प्रस्ताव को किस वक्त अनुमति दी

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

जावे। इसके लिए अब कोई नोटिस की भी जरूरत नहीं है। पहले अनुमति लेकर वे प्रस्ताव लायें, तब जाकर इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जो एजेन्डा सर्कुलेट हुआ है उसमें यह साफ लिखा है कि श्री वेदपाल त्यागी अब अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तावित करेंगे। उसमें सम्मति सदन की लेने का कोई जिक्र नहीं है अथवा यह माना गया है कि सम्मति प्रदान कर दी गई है और इसलिए सम्मति का अब प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये।

(घंटी)

श्री भैरूँसिंह (१६)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय को लेकर आज जो चर्चा हो रही है उसके विषय में हमें तीन मुख्य मदों पर तय करना पड़ेगा।

एक यह कि किन किन विषयों पर किस परिस्थिति में कैसे सदन के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाया जावे और प्रस्ताव लाने के वक्त किस पद्धति को अपनाया जावे, जिस पद्धति के जरिये से सारा काम विधान के अन्तर्गत हो और सदन की परम्पराएं भी कायम रहें और सदन की स्वस्थ परम्पराओं के साथ साथ जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्य मन्त्री ने बताया उसमें कुछ भारतीय संस्कृति का भी आभास हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन के नेता को विधान के अन्दर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, हाउस के कन्वेशन के अन्दर, किसी प्रकार की कोई गुन्जायश नहीं मिली तो उन्होंने उसकी शरण ली। पर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को मालूम होना चाहिये कि इन तीनों चीजों से भी ज्यादा जटिल यह भारतीय संस्कृति है। एक धोबी के कहने पर भगवान राम ने सीता का परित्याग किया तो फिर आज सारा विरोधी दल चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि हमारा विश्वास अध्यक्ष में नहीं रहा, उन्हें पदत्याग करना चाहिये, परन्तु इससे उन्हें बचाने के लिए सारा सत्तारूढ़ दल, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की कोशिश में है कि आज उन्हें यह पदत्याग न करना पड़े।

(घंटी, क्रमशः घंटी)

एक माननीय सदस्य—Order ! order !!

श्री भैरूँसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो बात है, वह कहने दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष--अभी तो जो प्रश्न सामने है उसी को तय करना है।

श्री भैरूँसिंह—मैं उसी पर बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—अभी......

श्री भैरूँसिंह--ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर...

श्री उपाध्यक्ष—अभी प्रश्न हमारे सामने यह है।......

श्री भैरूँसिंह—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर......

श्री जयनारायण व्यास--ऑर्डर प्लीज!

श्री भैरूँसिंह—ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर। ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर सर......

श्री उपाध्यक्ष—No point of order.

श्री भैरूँसिंह—On a point of order, Sir. On another point of order, Sir.

(घंटी, क्रमशः घंटी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—पोइन्ट ऑफ आर्डर कह रहे हैं...सुन लीजिये...

श्री उपाध्यक्ष—I do not allow you to speak.

श्री हरिकृष्ण व्यास--It is a point of order, and it is allowed...

श्री उपाध्यक्ष—He wants to give speech which is not allowed.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—It should be a point of order,

श्री उपाध्यक्ष—A speech is not allowed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He has risen to a point of order and therefore must be given precedence. We are talking of traditions, and......

श्री जयनारायण व्यास—I would ask one question. Can a point of order be raised when the Deputy Speaker is on his legs?

श्री उपाध्यक्ष--No. Now these people want to exercise that right.

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)--उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके द्वारा यह बताया गया था कि इस विषय पर निर्णय करने से पूर्व सदन के सभी सदस्यों की राय जानी जावेगी और मैं भी इस सम्बन्ध में अपनी राय जाहिर कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष—इसमें आपको कॉन्स्टीट्युशनली कोई बात कहनी हो तो कहिये।

श्री भैरू सिंह—मैं कॉन्स्टीट्युशनल बात ही बता रहा हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय अभी एक पूर्व वक्ता ने विधान की धारा २०८ का......

श्री जयनारायण व्यास—मैं पहले अरज करूंगा कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सुन लिया जावे, फिर व्याख्यान सुना जावे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Have patience, please.

श्री उपाध्यक्ष—PLEASE confine yourself strictly to the Constitution.

श्री भैरूँ सिंह (वि० सं० १६)—उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जिस तरह अभी पूर्व वक्ता ने बताया आज की लिस्ट ऑफ बिजनेस में श्री वेदपाल त्यागी यह प्रस्ताव करेंगे कि :—

"That this House having lost its confidence in Shri Narottam Lal Joshi, Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly here by resolves that he be removed from office."

(घण्टी)

आज की जो लिस्ट ऑफ बिज़नेस है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि श्री वेदपाल त्यागी इस प्रकार का एक रिज़ोल्युशन मूव करेंगे......

श्री उपाध्यक्ष—अगर जो डिस्कस नहीं किया गया हो, कोई पोइन्ट तो दें। Do not try to repeat. You state any new point.

श्री भैरू सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गलतफहमी पैदा हो गई है, इसका क्लेरिफिकेशन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब लिस्ट ऑफ बिजनेस में इस तरह की चीज है कि श्री वेदपाल त्यागी इस प्रस्ताव को सदन में रक्खेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस विधान के ज़रिये से, रूल्स ऑफ बिजनेस के कौनसे रूल के ज़रिये से और किन कन्वेन्शन्स के आधार पर श्री वेदपाल त्यागी को इस बात से वंचित रक्खा जाता है कि वे इस किस्म का प्रस्ताव सदन में नहीं रख सकते और उनको इसे सदन में रखने के लिए १।५ सदस्यों की इजाजत लेनी पड़ेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पिछले सदन के नेता, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति एक बार पहले भी अविश्वास का प्रस्ताव आया था। यदि इस पर ऐसा कन्वेन्शन कायम करना था, सदन की परम्पराओं को बनाए रखना था तो उस समय से लेकर आज के समय तक काफी समय था और उसमें रूल्स बना दिये जाते तो आज का कन्वेन्शन खराब नहीं होता। पर आज रूल्स

[श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)]

की आड़ लेकर इस प्रकार कन्वेन्शन को स्वस्थ बनाना नहीं होता बल्कि सदन की स्वस्थ परम्पराओं को खराब करना होगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह का यह प्रस्ताव है उसी तरह प्रस्ताव को प्रस्तावित करने की इजाजत दी जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, एक वैधानिक प्रश्न मुझे भी प्रस्तुत करना है।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा— रूल्स आफ प्रोसीजर में धारा ११५......

श्री वेदपाल त्यागी—On a point of order, Sir, can a member be allowed to speak as many times as possible ? He has once spoken on the subject. Will you allow him to speak again ?

श्री उपाध्यक्ष—He is further explaining perhaps.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—Mr. Deputy Speaker, Sir......

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—Rule 115 of our Rules of Procedure provides...

श्री मानसिंह महार—जरा जोर से साहिब, सुनाई नहीं देता।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—रूल नं० ११५ जो हमारे यहाँ है वह प्रोवाइड करता है कि...

"Residuary Powers.- All matters not specifically provided in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct."

And Rule 9 lays down :

"The Deputy Speaker and any member of the Assembly shall, when presiding over the Assembly, have the same powers as the Speaker when so presiding, and all references to the Speaker in these Rules shall in these circumstances be deemed to be references to any such person so presiding."

इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस रूल की तहत में, रूल्स ऑफ बिजनैस की तहत में जो यह पॉवर स्पीकर को दे दी गई है कि किसी भी बात में वह अपनी इच्छा के मुताबिक निर्णय दे सकता है तो मैं निवेदन करूंगा कि डिप्टी स्पीकर महोदय को इस विषय में अपना निर्णय देने के लिए पूरे अख्तियारात हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—What about the Constitution ?

Page No.73

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा एक कानूनी एतराज है, माननीय उपाध्यक्षजी, और वह यह है कि यदि रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धारा को......

(बाधा)

I will stick to the point.

(विराम)

"'रूल्स ऑफ प्रोसीजर की अलग-अलग धाराओं को देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि मोशन्स और रिज़ोल्यूशन्स को अलग-अलग ट्रीट किया गया है। मसलन, पेज २५ पर नो कॉन्फीडेंस मोशन है। इस प्रकार से, मन्त्री मण्डल में अविश्वास के प्रस्ताव का जिक्र है। आप पेज २६ पर देखेंगे तो "Motion for adjournment for purposes of Debate" का जिक्र है। इसी प्रकार "Motions for leave of absence" और अलग-अलग जो मोशन्स हैं उनका जिक्र है, और "मोशन" शब्द की परिभाषा की गई है कि ऐसा एक प्रस्ताव "which is capable of expressing a decision of the House"; जिस पर इस सदन का निर्णय हो सके। इसके विपरीत प्रस्तावों का जिक्र आपको पेज २८ "General Rules of Procedure" और प्राइवेट मेम्बर्स के सिलसिले में मिलेगा कि जहाँ प्रस्तावों के बारे में यह परिभाषा की गई है, "A Resolution is one which is capable of expression of an opinion"; तो मोशन और प्रस्ताव इन दोनों में हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में काफी बुनियादी फर्क किया गया है और आप यह भी गौर फरमायेंगे तो देखेंगे कि जहाँ-जहाँ लीव की इजाजत की आवश्यकता बताई गई है वहाँ-वहाँ हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में केवल मोशन्स के लिए बताई गई हैं, रिज़ोल्युशन के लिए कहीं भी लीव की आवश्यकता का जिक्र नहीं किया गया है।

अपने संविधान में नो कॉन्फीडेंस मोशन का दर्ज है। लेकिन जहाँ तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सवाल है वहाँ सिर्फ दर्ज है कि "by a resolution of the House passed by the majority of the then members".

"अर्थात् सदन के बहुमत की यह राय हो कि हम चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष अपना स्थान रिक्त करें तो अपने आप उनको रिक्त करवाया जायगा। उसमें सदन के निर्णय की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ राय के बताने की आवश्यकता है। अतएव इस प्रस्ताव को एक मोशन के रूप में न लेकर हमें एक रिज़ोल्युशन के रूप में लेना पड़ेगा और इस सिलसिले में अपने सपोर्ट में एक या २ घटनाएँ जो हुई हैं, जो प्रिसीडेन्स हुए हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछली बार जब इस सदन में इसी प्रकार का प्रस्ताव आया था तब उस प्रस्ताव पर बहस करने के लिए दिन नियत किया जा चुका था और उस समय कभी भी इस प्रकार का प्रश्न इस सदन अथवा रूल्स कमेटी के सामने नहीं आया था। आज क्यों और किस लिए इस पर सम्मति लेने की आवश्यकता पड़ गई? इतना ही नहीं; लेकिन मैं आपकी सूचना के लिए बताऊँ कि इन रूल्स में तब्दीली करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष को है, और उनमें तब्दीली करने के लिये समय-समय पर ऐसे ४ पत्र मैंने सदन के नेता और माननीय अध्यक्ष को दिये थे, और उनका ताल्लुक हमारी कार्यवाही से था। उन सब पर यह निर्णय दिया गया कि अब तो सारे के सारे रूल्स पर जब हाउस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

विचार करेगा तब इस पर विचार किया जा सकेगा ? बीच में एक रूल अथवा एक सवाल पर न तो हाउस विचार कर सकेगा और न माननीय अध्यक्ष विचार कर सकेंगे। अगर हमारे सुझावों पर माननीय अध्यक्ष ने इस प्रकार का निर्णय दिया है तो मैं यह कह सकता हूँ कि आज जब उनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो यह पर्दे के पीछे खड़े-खड़े बातें सुनने से बचत नहीं हो सकती।

अन्त में मैं आपको एक शब्द और कहूँगा। हमें कहा जाय कि कुछ न कुछ तो ताकत होनी चाहिए जिसको लेकर कोई प्रस्ताव करें। ठीक बात है, लेकिन इस प्रजातन्त्र के युग में सबसे बड़ी ताकत, शक्ति व्यक्तियों की नहीं; सबसे बड़ी ताकत दलील की है, और हमें विश्वास है कि एक भी आदमी खड़ा होगा और उसकी दलील अगर सुनेंगे, आप ईमानदारी से सुनेंगे तो फिर हमारे सदन का बहुमत हमारे पक्ष में हो जायगा, माननीय उपाध्यक्षजी, इसलिए विधान में......

(राज्य-पक्ष की ओर से कोहराम)

माननीय उपाध्यक्षजी, अगर वे हँसी के तरीके से बोलना चाहते हैं तो मैं भी उस तरीके से बोल सकता हूँ...

एक माननीय सदस्य--प्रजातन्त्र में बहुमत चलेगा, दलील नहीं चलेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास--(पूर्व वाक्य के क्रम में) और कानूनी तरीके से सुनना चाहते हैं तो कानूनी तरीके से बोलूँगा।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)--माननीय उपाध्यक्षजी, यहाँ रूस का प्रजातन्त्र नहीं, हिन्दुस्तान का प्रजातन्त्र है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--I am in possession of the House and I seek your protection.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी--You have been asked to sit down.

श्री हरिकृष्ण व्यास--(क्रम में) अन्त में मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि विधान में यह दर्ज है कि ऐसे प्रस्ताव के जरिये माननीय अध्यक्ष या माननीय उपाध्यक्ष को हटा दिया जा सकता है। अब मेरे मित्र कहते हैं कि कितने लोग खड़े हों तब इजाजत देनी चाहिए; यह सवाल इस सदन में तय हो। मान लीजिये कि आप इस बात को स्वीकार करलें या हम इस बात को स्वीकार कर लें और कल बहुमत से सदन में यह निर्णय हो जाय कि जब तक ४६ पर्सेन्ट लोग खड़े नहीं होते, १६० में से ७६ आदमी खड़े नहीं होते तब तक इजाजत नहीं दी जा सकती है। कानूनन, लीगल्ली (leally) कोई क्या ऐतराज करेगा ? यदि यह अधिकार हाउस का है कि कितने लोग खड़े होने पर इजाजत दी जाय; उसका निर्णय वह करे तो कल वह भी यह निर्णय कर सकता है कि ७६ खड़े होने पर इजाजत दी जाय अथवा वह यह भी निर्णय कर सकता है कि ८१ खड़े होने पर इजाजत दी जाय। तात्पर्य

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मेरे कहने का यह है; माननीय उपाध्यक्ष, कि जो विधान ने अधिकार दिया है उस अधिकार को, कानून बनाकर, छीनने का दुरुपयोग कर लेंगे। इस ढंग से अगर आज हम यह निर्णय लेंगे तो कल ऐसे भी लोग यहाँ आ सकते हैं जो कहेंगे कि ३२ क्यों, ६५ चाहिए। परसों ऐसे भी आयेंगे जो कहेंगे कि पूरे ८१ चाहिए; बहस नहीं, मत लेलो। इस प्रकार विधान में दिये गये अधिकारों का हरण होगा। इस प्रश्न पर अब कोई बहस नहीं होनी चाहिए और श्री वेदपाल त्यागी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर उनको अपनी राय देने का मौका दिया जाना चाहिए और इस सदन को मौका दिया जाना चाहिए और मत बाद में होना चाहिये कि इस प्रस्ताव को मन्जूर किया जाय या नहीं।

श्री घीसीसिंह—ऐसे प्रस्ताव तो रोज आते रहेंगे, हरेक व्यक्ति खड़ा हो जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो ऐसा काम ही क्यों करे कोई कि जिससे रोज प्रस्ताव आवे?

श्री घीसीसिंह—तो क्या बहुत अच्छा रहेगा?

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो ऐसी ज्यादतियाँ क्यों करे कोई कि रोज ऐसा प्रस्ताव आता रहे।

श्री उपाध्यक्ष—पहला तो यह सवाल है कि इस हाउस को, इस सदन को...

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—आप इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे तो फिर बहस बढ़ेगी।

(विराम)

पहले तो यह है कि इस हाउस को (नियम) बनाने का अधिकार है या नहीं कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर; कोई नियम नहीं बना सकते, सदन को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन २०८ धारा कॉन्स्टीट्यूशन के माफिक सदन को अधिकार है और मेरा यह रूलिंग है कि सदन जरूरत के मुताबिक कानून बना सकता है।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

अब उसके बाद दूसरा सवाल यह है कि इस वक्त क्यों बनाया जाय? हमारे सामने जो सवाल है वह आवश्यक है कि प्रोसीजर (हलचल) अब वहाँ पर (बाधा)......

कु० श्री जसवन्तसिंह—We protest AGAINST your ruling and I ask the members of the Opposition to walk out. That is the only Constitutional way open to us.

(Shame, Shame)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, एडवोकेट जनरल को बुलाकर राय ले ली जाय।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(सरकारी पक्ष की ओर से विभिन्न आवाजें)

Shame on those who butcher democracy.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Shame on those who raise a false cry of democracy.

(विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन परित्याग)

श्री उपाध्यक्ष—सदन के सामने दो प्रस्ताव हैं। एक तो यह कि रूल्स कमेटी ने जो नियम बनाकर पेश किये हैं उसको सदन स्वीकार करे। दूसरा यह है कि जो कन्वेन्शन के आधार पर चीफ मिनिस्टर, श्री जयनारायणजी व्यास, ने जो प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार करे। ये दोनों प्रश्न सदन के सामने हैं। दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अख्तियार किया जा सकता है और तादाद मुकर्रर की जा सकती है। इसलिये पहले कन्वेशन के लिये जो प्रस्ताव है...

(सदन परित्याग करने वाले विरोधी पक्ष के सदस्यों का सदन में पुनः आगमन)

एक माननीय सदस्य—आ गये भैया।

श्री उपाध्यक्ष—(जारी) इसलिये आपके सामने पहला प्रस्ताव यह है कि यह सदन, प्रस्ताव करता है कि चूंकि सदन के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश होने के बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं है अतः सदन संविधान द्वारा इंगित व स्वीकृत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की पवित्रता की तरफ ध्यान रखते हुए एवं सदन में स्वस्थ परम्पराओं को कायम करने के उद्देश्य से यह सदन यह निश्चय करता है कि अन्य 'बी' तथा 'सी' और कुछ 'ए' राज्यों में स्वीकृत परिपाटी के नियमों के अनुसार सदन के कुल सदस्यों के १/५ भाग की स्वीकृति के बाद ही ऐसा प्रस्ताव विचारार्थ स्वीकार किया जाय।

श्री अवनीकुमार मुखर्जी—On a point of Order, Sir, would like to know why the motion has not been circulated before it is discussed?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—This is ancillary motion.

श्री उपाध्यक्ष—जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे 'हाँ' कहें...

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए पोइन्ट ऑफ ओर्डर, सर,...

(एक ओर से हाँ की आवाज और दूसरी ओर से कोलाहल तथा इसके पश्चात् भारी कोलाहल)

श्री जयनारायण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir, have the votes been taken?

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir.....

श्री उपाध्यक्ष—There is no point of order.

श्री हरिकृष्ण व्यास--रूल ८३ आपको बता रहा हूँ, जिसके मुताबिक मत नहीं हो सकते।

श्री उपाध्यक्ष--देख लिया है रूल।

(पुनः कोलाहल)

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप सुनिये तो सही।

(विराम)

Under Rule 83, a notice of a motion......

श्री उपाध्यक्ष—I have put the question.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--On a point of order, Sir, can a point of order be raised after voting ?

श्री उपाध्यक्ष—There can be no point of order between the question

(राज्य-पक्ष की ओर से हर्ष-ध्वनियें तथा विरोधी पक्ष की ओर भारी कोलाहल)

श्री हरिकृष्ण व्यास--On a point of order, Sir...

श्री जयनारायण व्यास--On a point of order, Sir, can a point of order be.....

श्री वेदपाल त्यागी—Can the House move any amendment to the Resolution that has come up before you ?

श्री उपाध्यक्ष—You were not present, you were absent.

श्री वेदपाल त्यागी - Has a notice been given ? We have got every right to move any amendment.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Not the right to defy the Chair.

श्री उपाध्यक्ष—The question has been put and there can be no amendment afterwards. You were late, You ought to be present.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir......

(राज्य पक्ष के कुछ सदस्यों का खड़ा होना, बाधा पहुँचाना और फिर सदन में भारी कोलाहल)

श्री उपाध्यक्ष—Order !

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir, I am in possession of the House. (भारी कोलाहल) My point of order, Sir, should be decided.

श्री उपाध्यक्ष—'हाँ' पक्ष जीता । "Ayes have it" I have decided. Now you can raise objection. I will call a division for it.

(राज्य-पक्ष की ओर से हर्ष-ध्वनियें)

श्री हरिकृष्ण व्यास—My question is, Sir, that under Rule 83......

श्री उपाध्यक्ष—There is no question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am making a submission on a point of order.

श्री उपाध्यक्ष—You can call for a Division if you like.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am making a submission on a point of order.

श्री उपाध्यक्ष—No submission.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Can I not raise any point of order, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष—No. One thing is decided.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before hearing my point of order, is it possible for the Hon'ble Deputy Speaker to come to a conclusion regarding its merits ?

श्री जयनारायण व्यास—On a point of information, Sir, has the question been decided, or is it still pending ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—It is still pending.

Page No.79

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before the question was put, I rose to a point of order. My point of order should have precedence over the subsequent proceedings. So I submit that I be permitted to raise my point of order.

श्री उपाध्यक्ष—I have given my decision first that 'हाँ' पक्ष जीता, that is 'Ayes' have it."

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—When ?

श्री वेदपाल त्यागी—When ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Even before the question was put ?

श्री उपाध्यक्ष—Ask for a Division now.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir, even before......

श्री उपाध्यक्ष—You see I cannot allow you to carry on like this. You are quarreling with Speaker.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want a ruling. I am not quarreling with the Speaker.

श्री उपाध्यक्ष—You cannot fight it like this. You must have decorum.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I agree. But let us have a ruling also, so that posterity will judge what happened in our Rajasthan Assembly.

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष—The ruling is there.

श्री हरिकृष्ण व्यास—So I make a submission on a point of order.

श्री उपाध्यक्ष—There is no point of order. You want to create disturbance.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before you hear me, how can you.....

श्री उपाध्यक्ष—I Have heard you many times.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Do I take it, Sir, that my point of order is not permitted ?

श्री उपाध्यक्ष—Please sit down.

(श्री एच. के. व्यास आसन पर बैठ गये। पुनः एक क्षण पश्चात् उठे)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Now I rise on a point of order.

श्री भैरूँसिंह [१६]—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हमारी उपस्थिति में प्रस्ताव रखते हुए भी हम अपना संशोधन नहीं दे सकते और उसके ऊपर भी डिप्टी स्पीकर का इस प्रकार का रूलिंग है तो हम डिप्टी स्पीकर में अपना विश्वास खोते हैं और (मैं) आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस विश्वास खोने के ऊपर आप कुरसी खाली करके चले जाँय।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'शेम, शेम' तथा "Leave chair" की ध्वनियें)

श्री उपाध्यक्ष—I want that those who are in favour of No-Confidence Motion……

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, before voting is taken, my point of order be decided.

श्री जयनारायण व्यास—On What? Reselution or Motion?

श्री हरिकृष्ण व्यास—If I am listened to everybody would know what it is about.

श्री रामकरण जोशी—Votes have been taken.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not until the point of order is decided. My point of order……

श्री जयनारायण व्यास—Votes have been taken.

श्री उपाध्यक्ष—Your point of order will be what you say, or any technical thing?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Can I state my point of order?

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to draw attention of the Hon'ble Deputy Speaker to Rule 83. According to Rule 83, in case of a substantive motion at

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

least 7 days' clear notice is necessary. This particular motion has been given notice of just now, only a few minutes back and I object to its being taken into consideration unless 7 days' notice is over. This is my first point of order.

श्री उपाध्यक्ष—The Speaker has a right to allow it or turn it down.

श्री हरिकृष्ण व्यास —If that were so. Then since the Hon'ble Deputy Speaker has relaxed the Rule in favour of the mover of the motion, I request the Hon'ble Deputy Speaker to relax it in favour of the mover of the amendment also, and I request you to permit me to move an amendment that "instead of 1/5th, 1/20th be substituted." I request you to permit me to move the amendment.

श्री अवनिकुमार—Mr. President, Sir, permission must be given to him also.

श्री उपाध्यक्ष—But, you were absent.

श्री अवनिकुमार—No, Sir, immediately after the motion for consideration was adopted we were in, and that is the stage when the amendments are taken.

श्री उपाध्यक्ष—No, the question was put.

श्री वेदपाल त्यागी—I submit, Sir, that you reeax the rule in our favour also and permit us to move the amendment. Let the House then decide it.

श्री उपाध्यक्ष—In your absence the question was put and votes were taken.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before the question was put and votes taken I rose to a point of order.

श्री वेदपाल त्यागी —I also rose to a point of order.

एक माननीय सदस्य—So also I.

श्री जयनारायण व्यास—All these are points of disorder.

श्री गोपीलाल यादव—ऑन ए पाइन्ट ऑफ सजेशन, सर। माननीय उपाध्यक्ष, आप एक स्वस्थ परंपरा कायम करने के लिए अमेन्डमेंट एक्सेप्ट (स्वीकार) कर लीजिए और डिस्कशन चलेगा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी–The ruling has already been given.

श्री भैरूँसिंह [दाँता रामगढ़]--उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में स्वस्थ परंपरा कायम करने के लिए हमें यह भी निर्णय करना है कि यदि इस स्टेज में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो डिप्टी स्पीकर को भी अपनी चेयर खाली कर देनी चाहिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी--हाउस में स्वस्थ परंपरा कायम रखने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव आपके खिलाफ भी आ गया है तो आप भी कुर्सी खाली कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—The number has been fixed and approved by the House. No discussion is allowed. The question has been decided.

विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य—Not at all, not decided.

श्री उपाध्यक्ष—I will tell you, the House has decided. Do you want division ? A decision has been taken.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The House has only decided to take the resolution.

श्री वेदपाल त्यागी—The House has decided to take the resolution into consideration.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Resolution has not yet been considered by the House.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—What is the difficulty in discussing the resolution. The resolution has to be discussed, it cannot be passed like this.

श्री उपाध्यक्ष—You can claim division once, that stage has passed.

विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य—No Sir, no Sir. (कोलाहल)

श्री भैरूँसिंह (वि० स० १६)—Leave the chair, please.

श्री उपाध्यक्ष—The question has been decided.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That can be verified from the proceedings. No subsequent alterations are permitted.

श्री उपाध्यक्ष—I had put the question and it has been decided.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Our ears cannot be deceived like this, Sir.

विरोधी पक्ष—Leave the chair, leave the chair.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The question was not put. How is it possible ?

श्री वेदपाल त्यागी—It was put only.

(कुछ समय तक भारी कोलाहल)

The question was only put, nobody said 'yes'.

कु० श्री जसवन्तसिंह—It is a matter of our right. The supreme is supreme. The Speaker has been elected by the House. We fight for the rights.

श्री उपाध्यक्ष—I have referred the matter to the House and the decision of the House is like this. Only a few Members cannot change the decision of the House.

विरोधी पक्ष—Leave the chair, leave the chair...

श्री उपाध्यक्ष—I referred this matter to the House.

(कुछ क्षणों तक पुनः भारी कोलाहल)

श्री श्रीदास गोयल—How far this sort of things will be permitted.

(कोलाहल)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir. Mr. Deputy Speaker, Sir.

श्री जयनारायण व्यास—You had your 'no'.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not prepared to take my 'NO' so easily. Mr. Deputy Speaker, Sir, have I your permission, Sir ?

(कोलाहल)

Mr. Deputy Speaker, Sir, have I your permission, Sir ?

(कोलाहल)

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

माननीय उपाध्यक्ष, क्या मुझे मेरा अमेंडमेंट मूव करने की इजाजत प्रदान करेंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष— No. I have put the question. You were not here, otherwise you would have heard.

विरोधी पक्ष—We were here, Sir. We were here, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास— Before the question was put I had raised the point of order.

श्री उपाध्यक्ष—I allow you to move the motion and these who are in favour— 1/5th number-they should rise and then the question will be decided.

श्री वेदपाल त्यागी—If you remember, when we people came in you were reading it. You did not put it to vote. You were having some difficulty with the motion in your reading and at that time we objected that it cannot be raised like that and therefore it was not put to the House for vote and therefore it cannot be taken as passed.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—On a point of order, Sir, leave of the House has to be taken whether the question is going to be discussed or not.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—How the last stage could be reached. There are so many things before a motion is passed.

श्री उपाध्यक्ष—There was nobody to oppose it.

श्री वेदपाल त्यागी—Unless a notice has been given the motion cannot be accepted. The rules have not been gone through. I will request you, Mr. Deputy Speaker, that the rules must be observed strictly.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I do not know what is the difficulty in discussing the motion. How can we function ? We have the right......

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस मोशन से कोई डिफिकल्टी होती नहीं। डिफिकल्टी तो हमारे ऑपोजिशन के मेम्बरों ने बाहर जाकर और इसके ऊपर किसी तरह की बहस न करके, इसको पास करवा कर खुद ने पैदा की है।

('शेम, शेम' की अनेकों ध्वनियें)

[श्री जयनारायण व्यास]

+ + + +

और मैं अभी समझता हूँ कि इस सदन के सामने......

(भारी कोलाहल)

श्री उपाध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि...(कोलाहल) अविश्वास का प्रस्ताव... ('शेम, शेम' की ध्वनियें तथा पुनः कोलाहल) हिम्मत करके...

('शेम, शेम' की अनेक ध्वनियें)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—I can't allow this 'order'.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—How Sir ?

श्री उपाध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is a question of our right.

श्री उपाध्यक्ष—There is no question of right.

श्री भैंरूँसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष, यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको याद दिलादूँ, शायद गर्मी के कारण से आप भूल गये हैं।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे एक दो बातें अर्ज करनी हैं। सबसे पहली चीज तो यह होगी, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे मित्र श्री जयनारायणजी व्यास जिस वक्त शुरू में खड़े हुए थे तो वे इस बात को जानते थे कि कमेटी की तरफ से जो प्रस्ताव पास कर दिया जावे, एमेंडमेंट कर दिया जावे, वह गलत होगा। इसलिए उन्होंने सजेशन दिया कि कन्वेन्शन बनाये जावें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह एक सही बात थी। वह यह थी कि हम कन्वेशन तो किसी तरह का ही बना सकते हैं, चाहे हमारे सामने किसी तरह का मोशन आये या न आये। हम सब मिल कर और बैठकर सोच सकते हैं कि राइट चीज क्या होनी चाहिये; स्पीकर के खिलाफ कितने आदमी कम से कम हों, जब नो कान्फीडेन्स का मोशन आवे। मैं इस बात को मानता हूँ कि स्पीकर के खिलाफ नो कोन्फीडेन्श का मोशन नहीं आना चाहिये जब तक कि काफी तादाद से वह सपोर्ट नहीं किया जावे। तो वह कन्वेन्शन वाली चीज़ ठीक चल रही थी। इसमें आवश्यकता इस बात की थी कि दोनों तरफ के लोग मिल कर सही कन्वेशन डालते। लेकिन इस कन्वेन्शन के रास्ते में जो यह गलत कन्वेन्शन पड़ने जा रही थी वह यह थी कि एनमौके पर जिस वक्त एक चीज आ गई है उस वक्त प्रस्ताव वगैरह लेकर कोई चीज की जावे, तो मैं यह समझता हूँ कि उस गलत कन्वेन्शन को हमें

++++ श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य-विवरण में से हटाया गया।

[श्री गोपीलाल यादव]

एवोइड कर देना चाहिये और राइट कन्वेन्शन को सोचना चाहिये । मुझे निवेदन करना है कि इस तरह की चीजें जो हो रही हैं वे हाउस के लिए शोभा की बात नहीं हैं और हाउस में किसी तरह से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए । इसमें कई तरह की कानूनी दिक्कतें हैं कि इसमें नोटिस नहीं दिया गया । अगर आपने इसको पास भी कर दिया कि २५ मेम्बर खड़े होने चाहिए, पास कर दीजिये; पास करने के बाद आपको त्यागीजी वाले पोइन्ट पर विचार करना होगा । पहले रूल होता तो ३५-४० आदमी रहते, लेकिन इस रूल के न होने की वजह से आदमी नहीं आ सके । वे यह समझते थे कि जितने हम थोड़े से हैं उनसे ही काम चल सकता है । अगर आप इस रूल को बना लेते तो ज्यादा आदमी हाजिर हो जाते और आगे किसी कायदे से त्यागीजी वाले पोइन्ट में टाइम देना पड़ेगा, ताकि २५-३५ या ३२ आदमी कायदे के माफिक पूरे आ सकें । इसलिए मैं यह निवेदन करूँगा कि आप इस पर सोचें । मैं हाउस के नेता से भी यही कहूँगा कि आप इस पर सोचें । आॅपोज़िशन की तादाद थोड़ी है, यह सही है; लेकिन आॅपोज़िशन की भावना की अवहेलना करने से कोई फायदा नहीं होने जा रहा है । आप मेजोरिटी में हैं, कर सकते हैं लेकिन आप आॅपोज़िशन को साथ लेकर चलिये, आॅपोज़िशन हर तरह का सहयोग देगा । इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि आप इस पर फिर विचार करें और ऐसी चीज करें जिससे कोई गड़बड़ नहीं हो ।

श्री जयनारायण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, श्री यादवजी ने आपसे जो प्रार्थना की है कि आज यह मोशन नहीं लिया जावे, मुझे उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है । आप, जितने दिन इस मोशन के लिये देना चाहें, दें; इसके बाद इस अविश्वास के प्रस्ताव को लिया जावे ।

श्री भैरूँसिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष, जिस वक्त यह मान लिया जावे कि यह मोशन ले लिया गया, फिर ऐसा किया जा सकता है; लेकिन परिस्थिति यह है कि अभी तक यह मोशन पास नहीं किया गया, अन्डर कन्सीडरेशन है; इसके पहले इस प्रकार महत्व देना कतई उचित नहीं होगा ।

श्री जयनारायण व्यास—वह तो अध्यक्ष का फैसला है ।

(कोलाहल)

श्री वेदपाल त्यागी—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी दो शब्द कहने हैं । यह ठीक है कि जो कुछ हाउस में हो रहा है वह हमको शोभा देने वाली चीज नहीं है । लेकिन हमारे सामने सवाल हमारे राइट्स का आता है । हम अपने राइट्स को, जिनको कि मेजोरिटी वाले भाई चाहते हैं कि हम उन्हें आसानी से सरेन्डर कर दें; वह हम नहीं कर सकते । इसलिए हमें अपने राइटस को उपाध्यक्ष महोदय, आप तक पहुँचाने और आपके द्वारा हाउस से अपील करने का अधिकार है और मैं यह अपील करता हूँ, हाउस के गुडसेन्स से, कि यदि वे इस तरह का कोई मोशन रखना चाहते हैं तो उसको हाउस के द्वारा डिस्कस किया जाना चाहिये और फिर मैं यह निवेदन करूँगा कि जिस वक्त हम लोग वापिस आये उस समय वह मोशन पढ़ा जा रहा था । It was not put to vote and we

[श्री वेदपाल त्यागी]

immediately raised objection. मैं यह पोइन्ट आफ ऑर्डर रेज़ करना चाहता हूँ कि वह मोशन इस वक्त तक कान्सिडरेशन में है और कन्सिडरेशन में यदि आपने रूल्स को रिजेक्ट करके इजाजत दे दी तो मैं निवेदन करूँगा कि एमेंडमेंट के लिए भी इजाजत दी जाय ताकि यह न रहे कि आपने हमें नहीं सुना और बिना सुने इस तरह का मोशन पास कर दिया जो कि इस तरह के कन्वेन्शन बनाने चाहते हैं और तीनों हाउसों में बनाना चाहते हैं; इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि आप इस मोशन को डिस्कस करने दीजियेगा और मैं मुख्य मन्त्री महोदय से भी निवेदन करूँगा कि मेरे निवेदन को वे मानें और इसको मान कर मोशन को डिस्कस करें। उसके बाद जाकर दूसरे मोशन का सवाल खड़ा होता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह नहीं समझता कि इसमें क्यों हमारे मुख्य मन्त्रीजी परेशान हो रहे हैं कि उनका जो प्रस्ताव है उस पर डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है? आपको और सदन को मैं याद दिलाऊँ कि जिस वक्त वाकआउट (walk out) करके हम वापिस आ रहे थे उस वक्त यह प्रस्ताव उपाध्यक्षजी द्वारा पढ़ा जा रहा था और पढ़ने में भी, क्योंकि जैसी सुव्यवस्था रोशनी की या और तरह की हमारे सदन में है और तीन या चार दिन से बार-बार इसको हम कह रहे हैं, उनके पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी। आसानी से वे पढ़ नहीं सके और यह हम लोगों की समझ में नहीं आता कि किस तरह से पास हो गया? अगर उन्होंने मन में यह विचार कर लिया कि पास कर लिया है और वे भूल गए इस बात को कहना तो यह बात हो सकती है। जो, मित्र उधर बैठे हुए हैं उनके ख्याल में भी यह बात आ सकती है कि वह पास हो गया हो। इधर कम से कम २०-२५ आदमी बैठे हुए हैं, हमसे न तो वोट लिए गए और अगर कोई बात है तो स्टेनोग्राफर्स के नोट्स देख लिए जाँय कि कितने आदमियों ने 'यस' कहा और कितनों ने 'नो' कहा, 'यस' और 'नो' आपने अनाउन्स किया या नहीं? तो फिर किस तरह पास किया जा सकता है? अगर हमारे मुख्य मन्त्रीजी की यह मन्शा है कि ऑपोज़िशन बोले ही नहीं; वे यही चाहें तो हम लोगों से साफ कह दें, हम बाधा नहीं डालेंगे; लेकिन जहाँ तक सदन के मेम्बर होने का हमें हक है हम भी जनता के उतने ही प्रतिनिधि हैं जितने कि वे। हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे राइट्स को हम ईज़ीली सरेन्डर (easily surrender) करने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारे ऊपर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और दुनिया में कोई भी ऐसा प्रिसिडेन्स देखने में नहीं आयेगा कि जहाँ पर इतने महत्व का एक प्रस्ताव रखा गया हो जिस पर बहस नहीं की जाय। उस महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव का न तो कोई अनुमोदन किया गया और न समर्थन। इसलिए इस पर बहस करना आवश्यक है।

श्री भैरूसिंह (डि० नं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन की इस तरह की परम्परा रही है कि जिस वक्त सदन में किसी किस्म का प्रस्ताव पेश होता है, तो माननीय उपाध्यक्ष या माननीय अध्यक्ष जो कोई भी इस पद पर आसीन हो वे अपने सामने रखी हुई बिज़नेस लिस्ट पर ऐसा लिखा करते हैं कि पास। मुझे कहना पड़ता है कि माननीय उपाध्यक्ष के पास जो लिस्ट पड़ी हुई है वह बिल्कुल ब्लेन्क है। उस पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि यह रिज़ोल्युशन पास हो

[श्री भैरूंसिंह डि० नं० १६]

गया। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मानना पड़ेगा कि इस तरह का प्रस्ताव अभी तक कतई पास नहीं हुआ है।

(चुप्पी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, Under Rule 116 it has been laid down that once in regard to a particular motion the rules have been suspended...

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—No rules have been suspended. That was ancillary motion on the particular motion.

विरोधी पक्ष—NO. NO. NO. NO. NO.

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, इसके बारे में बोलने के लिए दो मिनिट मुझे भी दीजियेगा।

विरोधी पक्ष—NO. NO. (कोलाहल)

श्री वेदपाल त्यागी—No motion can be allowed.

श्री जयनारायण व्यास—It is an ancillary moment for the opposition to speak all at time.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Because you have all joined to curtail our rights.

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आपकी अनुमति है कि मैं अपना अमेन्डमेंट मूव करूं।

(घंटी)

यदि आप रूल ११६ की ओर ध्यान फरमावेंगे तो आप देखेंगे कि अगर किसी एक मोशन पर किसी मेम्बर के कहने से रूल सस्पेन्ड कर दिया गया है, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी के इस प्रस्ताव के पक्ष में सस्पेन्ड किया गया था। तो आप देखेंगे कि उस पार्टिकुलर मोशन के लिए सदन के रूल्स सस्पेन्डेड (suspended) रहते हैं। चूँकि रूल्स सस्पेन्डेड रहते हैं इसलिए मेरे अमेन्डमेंट के नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव मुझे अमेन्डमेंट मूव करने का अधिकार है और मैं समझता हूँ कि आप मुझे अधिकार प्रदान करेंगे। अतः, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अपना अमेन्डमेंट मूव करना चाहता हूँ।

श्री जयनारायण व्यास—No rules have been suspended. That was an ancillary motion on the particular motion.

विरोधी पक्ष—No. No.

श्री वेदपाल त्यागी—No motion can be allowed.

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष......

श्री उपाध्यक्ष—No we discuss this thing at a length. (कोलाहल) And there is excitement..... (कोलाहल)

At the time of the motion you were absent.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—We were not absent. (कोलाहल)

श्री हरिकृष्ण व्यास—We were not absent. (कोलाहल)

श्री मानसिंह महार—मुझे तो दो मिनट चाहिए। मैं तो बाहर नहीं गया था, माननीय उपाध्यक्षजी।

श्री उपाध्यक्ष—I call Mr. Tyagi to rise and move the motion for the leave.

(कुछ क्षणों तक कोलाहल)

विरोधी पक्ष—First we want decision.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want your permission, Sir......

श्री उपाध्यक्ष—Should I take it that he does not want to move ?

(कुछ क्षणों तक पुनः कोलाहल)

We disperse then and I adjourn the House till.....

(कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want your permission, Sir.

विरोधी पक्ष—Shame, Shame, Shame, Shame.

श्री उपाध्यक्ष—I would ask the Sergeant-at-Arms to remove Mr. H. K. Vyas.

(विराम)

Mr. H. K. Vyas to go out of the House.

(विराम)

Mr. Vyas to go out of the House.

विरोधी पक्ष—No. No.

श्री उपाध्यक्ष—सार्जेन्ट एट आर्म्स, मि० एच० के० व्यास को यहाँ से हटाओ। Please remove Mr. H. K. Vyas.

SHAME SHAME SHAME SHAME SHAME SHAME SHAME

(भारी कोलाहल तथा "शेम शेम" की ध्वनियों में ८ बज कर ३० मिनट रात्रि को वाच एण्ड वार्ड के चार व्यक्तियों की सहायता से सार्जेन्ट एट आर्म्स ने श्री एच० के० व्यास को हाथों में उठा कर सदन से बाहर किया। श्री एच० के० व्यास को उठाते तथा ले जाते समय सर्व श्री गोपीलाल यादव, सन्तोषसिंह कछवाहा, मंगलसिंह कछवाहा तथा मुक्तिलाल मोदी ने बाधा उपस्थित की तथा अन्य विरोधी दल के सदस्यों की यह भी ध्वनियां सुनाई दी; "Leave Chair, Leave Chair.)"

श्री उपाध्यक्ष—I now suspend today's sitting of the Assembly.

(सदन की कार्य-वाही ८ बजकर ३५ मिनट रात्रि को दिनांक २४ मई, १९५४ के साथं ५ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२१ मई, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित सदस्य की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है ।)

प्रश्न

825. (78/M. H. M.) Shri G. C. Kashliwal, M. L. A. (48) —Will the Minister for Medical and Public Health Department Please inform:—

(i) Whether non-official visitors have been nominated for the various hospitals of this State ?

(ii) If so, for which of the Hospitals and when ?

(iii) If not, what are the reasons for not doing so ?

उत्तर

१. अस्पतालों के लिये नान-आफिशियल विज़िटर्स नामजद कर दिये गये हैं ।

२. इस सम्बन्ध की लिस्ट टेबिल पर रख दी गई है ।

३. इस लिस्ट से यह ज्ञात होगा कि ऐसे विज़िटर करीब-करीब सब महत्वपूर्ण स्थानों में जहां बड़े अस्पताल हैं रख दिये गये हैं ।

LIST OF HONORARY VISITORS OF HOSPITALS

Associated Group of Hospitals :—

1. **Udaipur** (June 51)

(1) Shri Niranjan Nath Acharya, Advocate.

(2) Shrimati Narayani Devi Verma.

(3) President, City Corporation, Udaipur.

2. **Bikaner** (June 51)

(1) Shri Rawat Mal Advocate.

(2) Shri Jeewan Dutta Advocate.

(3) Shri Karnidan Maheswari.

(4) Shri Govind Narain Vaidya.

(5) Mrs. Ratan Devi Damani.

3. **Kotah** (June 51)

(1) Shri Ram Swaroop Advocate, President Bar Association.

(2) Pandit Abhin Hari.

(3) Shrimati Nargis Bahan.

4. **Jodhpur** (June 51)

(1) Shri Dwarka Dass Purohit, Advocate.

(2) President, Municiapl Boar

(3) Shri Bhajan Singh, Contractor.

(4) Shri Zaffar Hussain.

5. **Alwar** (June 51)

(1) Dr. Shanti Swaroop Data, Secy. Distt. Congress Committee, Alwar.

(2) Shri Chhotu Singh, M. Com., LL. B., Advocate.

(3) Shrimati Laxmi Bai.

6 **Jaipur** (June 51)

(1) Shri Ramkaran Joshi.

(2) Shri Narain Chaturvedi, Editor, Amar Jyhti.

(3) Shri Ramkishore Vyas. Chairman, Municipality.

(4) Shri Shyam Beharilal Saxena, Advocate.

(5) Shrimati Vrinda W/o Shri Shanti Bhai Durlabhji.

7. **Kishangarh Hospital** (June 51)

(1) Shrimati Gulab Devi Purohit C/o Shri Kanti Chandra Purohit, Kishangarh.

(2) Shri Chand Mal Mehta, Member, Provincial Congress Chmmittee, Kishangarh.

8. **Bharatpur Hospitals** (April 52)

(1) Shri Govind Lal Mathur, Chairman, Municipal Board, Bharatpur.

(2) Shri Adityandra, President Congress Matsya Area.

(3) Shri Hari Dutt, Advocate.

9. **Dungarpur Hospitals** (August 51)

(1) Shri Roop Ramji Joshi.

(2) Shri Chandra Lalji Gupta.

(3) Shrimati Subhadra Joshi.

10. **Banswara Hospitals** (August 51)

(1) Shri Dhulji Bhai Bhawsar.

(2) Shri Ramchandra Vaid.

(3) Shri Chhagan Lalji Katwa.

11. **Gangapur Hospital.**

(1) Shri Gulab Chand Jain, B. Com., LL. B.

(2) Shri Shyam Lal Goel, Vakil.

12. **Hindaun Hospital.**

(1) Shri Umed Singh M. A., LL. B.

(2) Shri Sarwan Lal Vaidya.

Page No.94

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८३७ का उत्तर देखिये)

आर० ए० एस० कलेक्टर्स जिनको आई० ए० एस० की जगहों पर नियुक्ति किये जाने की अनुमति प्राप्त है :

१.	सवाई माधोपुर	श्री चन्द्रधर ईसर ।
२.	भरतपुर	श्री बृजमोहननाथ तनखाह ।
३.	सीकर	श्री सुरेन्द्रसिंह ।
४.	झुन्झुनू	श्री मनोहरलाल मित्तल ।
५.	चूरू	श्री मांगीलाल महेच्छा ।
६.	कोटा	श्री भगवतदत्त ठाकुर ।

अन्य आर० ए० एस० अफसर जो स्थानापन्न कलेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं :

१.	अलवर	श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा ।
२.	जालोर	श्री गोवर्धनसिंह ।
३.	डूंगरपुर	श्री निरन्जनसिंह ।
४.	चित्तौड़	श्री केसरीसिंह मेहता ।
५.	भीलवाड़ा	श्री रामकुमार शर्मा ।
६.	गंगानगर	श्री चम्पालाल कोचर ।
७.	बूंदी	श्री तेजसिंह कोठ्यारी ।